राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

रायपुर (छत्तीसगढ़)

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011-12

पिछड़े वर्गों के हित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कृत संकल्पित

छत्तीसगढ़
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

पंचम वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन : 0771-2420352, 2429967, 2429968
E-mail : secretary_bcc@yahoo.in

अन्य पिछड़े वर्गों का हित-प्रहरी : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

मान. केदार कश्यप
केबिनेट मंत्री,
आ.जा. कल्याण विकास विभाग

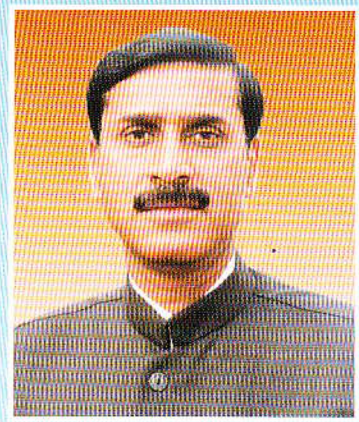

मान. डॉ. सोमनाथ यादव
अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त)
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

मा. देवेन्द्र जायसवाल
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. प्रह्लाद रजक (धोबी)
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. छतरसिंह नायक
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. शिव चन्द्राकर
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. ममता साहू
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

मा. मुनेश्वर सिंह केसर
सदस्य-छ.ग. राज्य पि.व.आ.

कार्यालय :-

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
21, रवि नगर, कलेक्ट्रेट के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771 - 2429967, फैक्स : 0771 - 2420352

छत्तीसगढ़ शासन

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर का शासकीय अमला

प्रथम पंक्ति में श्रीमती अनिता डेकाटे (सहायक अनुसंधान अधिकारी), श्री एल.आर. कुर्रे (सचिव रा.पि.आ.) एवं श्री उत्तराकुमार पटेल (प्रभारी लेखापाल)

पीछे खड़े हुए बाये से अन्य आफिस स्टाफ - श्री देवांगन, श्री साहू, श्री यादव, श्री खगेश, श्री झामन एवं श्री वीरेन्द्र यादव

अध्यक्ष की कलम से

अन्य पिछड़े वर्गो की बाहुल्यता वाला हमारा छत्तीसगढ़ राज्य आज भारत के गौरव तिलक राज्यों में एक है । आज हम दुनिया के समक्ष एक 'विश्वसनीय छत्तीसगढ़' के रुप में प्रगति के शिखर सोपान को स्पर्श कर रहे है। हमारी यह सफलता राज्य के मुखिया व जन-जन के प्रिय मान. मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह के अप्रतिम व्यक्तित्व व कुशल नेतृत्व की स्वर्ण कथा का जीवन्त दस्तावेज है।

विगत चार माह पूर्व नम्बर 2011 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद के लक्ष्यपूर्ण दायित्व की कमान सौंपी उस समय उनका एकमात्र निर्देश था कि 'राज्य में पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों के संवर्धन हेतु आयोग एक सतत प्रहरी की भूमिका में सजग होकर कार्य करे।'

मान. मुख्यमंत्री जी के इस आत्मिक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन में हमारे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग परिवार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें ली एवं जमीनी स्तर पर हो रही कुछ त्रुटियों को दूर करने के प्रयास में जुटे तथा विविध गोष्ठियों एवं चर्चा उपरांत आये सुझावों को राज्य शासन को सम्प्रेषित किया । राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से चर्चा करने उपरांत हमारे आयोग परिवार ने आगामी महिनों में 'जुड़ाव' कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की विविध जातियों का स्वतंत्र रुप से प्रान्त स्तरीय सम्मेलन करेंगे ताकि हमारा संवाद विस्तृत रुप से हो और इस प्रकार हमारे जुड़ाव की प्रक्रिया और गहरी होती जावेगी ।

बहरहाल इन चार माह में हमने ऐसे विषयों पर भी पहल किया है, जिन्हें छोटा समझकर अनदेखा कर दिया जाता था। ऐसे प्रसंगों की तो सूची लम्बी है मगर कुछ उदाहरण अवश्य आपके समक्ष हमारे सम्माननीय सदस्य साथियों ने रखे है, जो उल्लेखनीय बन गये है। दक्षिणी-पूर्वी-मध्य बिलासपुर रेल्वे मंडल से सम्बंधित पिछड़ा वर्ग के एक मसले में रेल्वे मंडल आयोग के हस्ताक्षेप से ग्वाला समाज के दूधवालों के लिए विशेष शैड का निर्माण किया गया जिससे कि उनकी एक दीर्घकालिक समस्या का अन्त हुआ। कुछ प्रसंगों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हुए अन्याय के विरूद्ध भी हमारा आयोग सामने आया और विशेष रुप इसमें रायगढ़ के श्री रमाकान्त सोनी, मुंगेली जिला के श्री संतोष यादव एवं श्री खोभराम साहू पामगढ़ के नोनिया एवं श्रीमती अहिल्या यादव व श्रीमती सरिता निषाद आदि अनेक लोग है, जिन्हें आयोग के हस्तक्षेप से तत्काल राहत मिली।

विगत चार माह में अन्य पिछड़े वर्गो के हित संरक्षण संबंधित विविध प्रक्रियाओं में तीव्रता आयी है। राज्य के अनेक जिलों में अन्य पिछड़े वर्गो के सामाजिक सम्मेलन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों द्वारा विशेष रुप से शिरकत की गई और राज्य शासन एवं समाज के मध्य संवाद सेतु बन उनकी समस्याओं के निराकृत करने के विषय में गम्भीर पहल हुई है। कलार, कुशवाहा, श्रीवास, रजक व केंवट, मनियारी मुस्लिम समाज, यादव, साहू, कुर्मी एवं देवांगन समाज के लोगों ने आयोग के इस पहल को अन्यन्त ही आत्मिक रुप से लिया है, जिसका हमें असीम संतोष है ।

चार माह की इस अल्प यात्रा में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हजारों लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, आत्मिक संतोष हुआ कि, मैं अपनी पिछड़ा वर्ग बिरादरी के हृदय-प्रदेश से जुड़ता जा रहा हूँ। राज्य के मुखिया श्रद्धेय डॉ. रमन सिंह जी का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उनका स्नेहासिक्त मार्गदर्शन हर क्षण साथ रहा एवं साथ ही मैं आदिम जाति कल्याण विभाग के ऊर्जावान युवामंत्री मान. केदार कश्यप जी, विभागीय सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ एवं संचालक श्री एम.एस. परस्ते को भी साधुवाद व विनम्र धन्यवाद दूंगा, जिनके असीम सहयोग से हम अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं के निराकृत मार्ग तक पहुँच पा रहे है।

मैं आयोग को एक परिवार के रुप में देखता हूँ और हमारे आयोग के सम्माननीय सदस्यगण सर्वश्री प्रहलाद रजक, देवेन्द्र जायसवाल, छतरसिंह नायक, शिव चन्द्राकर, मुनेश्वर सिंह केसर एवं सुश्री ममता साहू एवं आयोग के सचिव श्री एल.आर. कुर्रे व अन्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा एक टीम वर्क के रुप में कार्य करने की परम्परा का प्रारंभ करने पर भी हृदय से सात्विक धन्यवाद व साधुवाद देता हूँ। आशा है कि, आगामी दिनों में हम अपने लक्ष्यों का क्रियान्वयन करने में अपनी इसी सामूहिकता का परिचय देंगे। अन्त में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुप से सहयोग व मार्गदर्शन करने वाले सभी आत्मीयजनों के प्रति भी सादर सभार समर्पित है.... आप सबका

शुभेच्छु

डॉ. सोमनाथ यादव

प्राक्कथन

भारत के संविधान में संसद, विधानसभा, शासकीय सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान की व्यवस्था अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया एवं आयोग को पिछड़े वर्गो की जाति के समावेशन एवं विलोपन संबंधी प्राप्त आवेदनों पर सर्वेक्षण एवं सुनवाई करने के साथ ही साथ आरक्षण के लाभ से वंचित होने/उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को संज्ञान में लेने संबंधी दायित्व सौंपे गये।

आयोग के गठनोंपरात वर्ष 2007 से 31.03.2012 तक कुल 68 जाति का सम्मिलन एवं निष्कासन हेतु आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 49 आवेदनों की सर्वेक्षण व जन सुनवाई की गयी तथा कुल 28 जातियों पर आयोग द्वारा सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन उपरांत शासन को संस्तुति दी गयी है। वर्तमान में 19 आवेदनों पर अनुसंधान जारी है, शेष 21 आवेदनों को आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेकर निराकृत किया गया। इसी तरह आयोग के गठनोंपरात अर्थात 2007 से 31.03.2012 तक पिछड़े वर्ग के आरक्षण से वंचित होने एवं उत्पीड़न व अन्य समस्याओं से संबंधित कुल 210 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 148 शिकायतें निराकृत की गयी है एवं 10 को परीक्षणोंपरांत आयोग द्वारा अंतिम निर्णय किये है। शेष 52 शिकायतें प्रक्रियाधीन है।

आयोग द्वारा जन शिकायतों पर जाँच/सुनवाई किये जाने का विनिश्चयन किया जाता है उन पर छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग, आयोग के अधिनियम 1995 की धारा 9 (1) (घ) के तहत कार्यवाही की जाती है। वर्तमान 31 मार्च 2012 तक में पिछड़े वर्गों के हित संरक्षण संबंधी कुल 68 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें परीक्षण उपरांत 29 निराकृत की गयी एवं 08 अंतिम निर्णय हेतु अनुशंसित है तथा 31 शिकायतें प्रक्रियाधीन है।

आयोग के गठन से वर्तमान में आयोग को प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या वृद्धि हो रही है जो इस बात को इंगित रता है कि राज्य के पिछड़े वर्ग समुदाय/आयोग के क्रियाकलाप से अवगत होकर अपनी समस्याएँ आयोग में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह आयोग के कृत्यों की विश्वसनीयता का प्रमाण है। राज्य के पिछड़ा वर्ग समुदाय से अनुरोध है कि वे अपनी समस्याओं से आयोग को बिना दबाव के प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामान्य परिचय के साथ आयोग के गठनोंपरात आयोग को प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्गों के हित संरक्षण संबंधी शिकायतों एवं जाति समावेशन/विलोपन संबंधी आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी सहित वर्षवार सांख्यिकीय आंकड़ों में दर्शित किया गया है। प्रतिवेदन में आयोग के अनुसंधान एवं समीक्षा बैठकों की जानकारी भी समाहित की गयी है। वार्षिक प्रतिवेदन को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग हितार्थ जारी हुए केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी उन दिशा निर्देशों का समावेश किया गया है, जो पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए सहायक होगी।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 4 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 प्रस्तुत कर रहा है।

(एल.आर. कुर्रे)
सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

भाग- एक :

- आयोग की आवश्यकता एवं गठन

भाग- दो :-

- अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित शासन के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश

भाग-तीन :-

- अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित विभिन्न निर्देश

01. पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।
02. जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र

भाग-चार :-

- अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व दूरभाष क्रमांक
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट

भाग-पाँच :-

- सन् 2011-12 में प्राप्त शिकायतों एवं जाति संबंधित आवेदन पत्रों पर आयोग की कार्यवाही सांख्यिकी आँकड़े एवं रेखाचित्र

भाग-छ :-

- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनायें

भाग-सात :-

- आयोग की बैठकों का विवरण
- माननीय अध्यक्ष द्वारा 18 जिलों की समीक्षा बैठक एवं सार-पत्र मुद्रित
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मान. सदस्यों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन

भाग-आठ :-

- आयोग की गतिविधियों के मुख्य छायाचित्र
- अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ

पंचम वार्षिक प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की धारा 13 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने क्रियाकलापों /गतिविधियों संबंधित वित्तीय वर्ष 2011-12 (01.04.2011 से 31.03.12 तक की अवधि) से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(डॉ. सोमनाथ यादव)
अध्यक्ष
छ.ग.रा.पि.व. आयोग, रायपुर (छ.ग.)

(प्रहलाद रजक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

(मुनेश्वर सिंह केशर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

(देवेन्द्र जायसवाल)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

(शिव चन्द्राकर)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

(श्रीमती ममता साहू)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

(छतरसिंह नायक)
सदस्य
छ.ग.रा.पि.व. आयोग
रायपुर (छ.ग.)

भाग- एक

- आयोग की आवश्यकता एवं गठन

भाग-1

पिछड़ा वर्ग आयोग की आवश्यकता व गठन

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित और विकास की दौड़ में पिछड़े हुये कमजोर लोगों के उत्थान तथा न्यायसम्मत, समतामूलक और बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में विशेष प्रावधान किए। इसी कड़ी में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिये भारत का संविधान के अनुच्छेद 340(1) के तहत यह व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाईयों को वे झेल रहे है उनके और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 340(1) के तहत 21 जनवरी, 1953 को प्रसिद्ध समाज सेवक काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया इस आयोग द्वारा पूरे देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए एक सूची तैयार की गई। उसके पश्चात् राज्य सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग की सिफारिशों के अनुरुप इस वर्ग के लोगों के कल्याण के कदम उठाए गए एवं उन्हें शिक्षा में सुविधाएं और नौकरियों में आरक्षण देने की शुरुआत की गई।

केन्द्र सरकार द्वारा 19 अगस्त, 1980 को गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के लिए दौरा किया था। आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने प्रदेश की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलावा शैक्षणिक एवं सामाजिक रुप से पिछड़ी हुई जातियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अपने प्रतिवेदन में मंडल आयोग ने देश के लगभग 52% पिछड़े वर्गों की जनसंख्या हेतु देश के अधिकांश राज्य सरकारों के द्वारा अपने-अपने प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा कल्याण का कार्य काफी पहले प्रारंभ किये जाने का लेख किया था। आयोग ने स्पष्ट किया था कि मध्यप्रदेश ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है। 1980 में ही मध्यप्रदेश में विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में प्रदेश के पिछड़े वर्ग के उत्थान के उपाय सुझाने हेतु एक समिति श्री रामजी महाजन, विधायक की अध्यक्षता में गठित करने की घोषणा की गई। 5 सितम्बर 1980 को समिति के स्थान पर आयोग के गठन का आदेश दिया गया। आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रामजी महाजन थे। 22 दिसम्बर, 1983 को महाजन आयोग ने तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के समक्ष 82 वर्ग/जाति/समूह को पिछड़ा वर्ग के रुप में मान्यता प्रदान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं सूची में कतिपय संशोधन करते हुए पिछड़ा वर्ग जाति/उपजाति/वर्ग समूह की संशोधित सूची प्रकाशित की गयी।

1 नवम्बर, 2000 को छ.ग. राज्य की स्थापना हुई। देश का 26 वाँ राज्य छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्यप्रदेश को बांटकर बनाया गया। नवीन राज्य को अपनी स्थापना कार्य को सुव्यवस्थित करने में कुछ वर्ष लगे तदोपरांत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी डॉ. रमन सिंह ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वरुप देने के लिए 20 दिसम्बर 2002 को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2005 में किया गया। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के अधीन प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सौपे गये कार्यों का पालन करने हेतु एक अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किये गये। 05 अप्रैल, 1997 की मध्यप्रदेश शासन की सूची को छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्गों की आधारभूत सूची मानकर अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। नव सृजित छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के पीछे शासन की भावना अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान एवं कल्याण करने की थी।

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 1560/2005/आ.जा.वि./रायपुर/दिनांक 21/12/2005 द्वारा तीन सदस्यीय आयोग का गठित किया गया। विभाग के आदेश क्रमांक 413/1560/07/ 25-7/ आ.जा.वि./रायपुर दिनांक 28 फरवरी, 2008 द्वारा अन्य पांच सदस्यों की नियुक्ति की गयी इस प्रकार आयोग सात सदस्यीय आयोग बना। वर्तमान में छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग रायपुर द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 की अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन के आदेश क्र. क्रमांक/एफ-19-47/2011/25-2 दिनांक 23 नवम्बर, 2011 द्वारा अग्रांकित अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति की गयी।

क्र.	पद	नाम	पद ग्रहण दिनांक
01.	अध्यक्ष	मान. डॉ. सोमनाथ यादव	24.11.2011
02.	सदस्य	मान. श्री देवेन्द्र जायसवाल	24.11.2011
03.	सदस्य	मान. श्री प्रहलाद रजक	25.11.2011
04.	सदस्य	मान. श्री मुनेश्वर सिंह केसर	26.11.2011
05.	सदस्य	मान. श्री शिव चन्द्राकर	26.11.2011
06.	सदस्य	मान. श्रीमती ममता साहू	26.11.2011
07.	सदस्य	मान. श्री छतरसिंह नायक	26.11.2011

छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित किये जाने तथा अन्य ऐसे प्रकरण जो केन्द्र शासन से संबंधी है। ऐसे आवेदन अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से अग्र पते पर प्रेषित किया जा सकता है।

-: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पता :-

त्रिकुट-1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 066

दूरभाष 2618-9210, 9211, 9212 फैक्स 2618-3227

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//अधिसूचना//

क्रमांक 1560 2005/आजावि : रायपुर, दिनांक 02-12- 2005

राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 2 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की धारा 3(1) के अध्याधीन तीन सदस्यीय छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है।

इस आयोग का मुख्यालय रायपुर होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुब्रत साहू)
विशेष सचिव

पृ.क्रमांक / 1560/ 2005/ आजावि/ 8906 रायपुर, दिनांक 2 /दिसम्बर, 2005

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश//

क्रमांक एफ-19-47/2011/25-2 रायपुर, दिनांक 23-11-2011

राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(1)	डॉ. सोमनाथ यादव, जिला-बिलासपुर	-	अध्यक्ष
(2)	श्री प्रहलाद रजक, जिला-बेमेतरा	-	सदस्य
(3)	श्री भुवनेश्वर सिंह केसर, कुनकुरी, जिला- जशपुर	-	सदस्य
(4)	श्री देवेन्द्र जायसवाल, डौंडीलोहारा, जिला-बालोद	-	सदस्य
(5)	श्री शिव चन्द्राकर, जिला-दुर्ग	-	सदस्य
(6)	ममता साहू, जिला-दुर्ग	-	सदस्य
(7)	श्री छतरसिंह नायक, जिला-महासमुन्द	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(डॉ. अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनूसूचित जाति वि.वि.

पृ.क्रमांक एफ-19-47/ 2011/ 25-2 रायपुर, दिनांक 23-11-2011

बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषक हेतु अनुबंध क्रमांक जी-2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30.5.2001

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक 114-009/2003/20-01-03

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241 रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2007- भाद्र 21, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्रमांक 7889-डी/200/21-अ./प्रा./छ.ग./07- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007), एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

विमला सिंह कपूर

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 6 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश भारत गणराज्य के अन्ठावनबे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया अतः राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यामान है, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें।

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापिंत करते है :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ	1.	(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 है। (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त माना जायेगा।
छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 26 सन् 1995 का अस्थाई रुप से संशोधित किया जाना.	2.	इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट संशोधनों के अध्याधीन प्रवृत्त होगी
धारा 3 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम में, धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" और परन्तुक में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "तीन" स्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्रमांक 7889/डी.200/21-अ/प्रा./छ.ग./07, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
विमला सिंह कपूर

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव पद पर कार्यरत अधिकारी का कार्यकाल

क्र.	सचिव का नाम	कब से	कब तक
01.	श्री एन.आर. साहू	22.07.2007	17.08.2007
02.	श्री बद्रीश सुखदेवे	17.08.2007	30.05.2009
03.	श्री एच.के. सिंह उईके	30.05.2009	25.08.2009
04.	श्री एल.आर. कुर्रे	25.08.2009	निरंतर

भाग-दो

▲ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित शासन के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश

भाग-2

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. -1299/72/2010/1-3 रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय : - **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।**

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5664/05 (PIL) में पारित आदेश दिनांक- 07.10.2006 के पालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक- 10 अगस्त, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची जो मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित की गई है, में प्रविष्टि क्रमांक- 20,23,33, 34 एवं 35 पर अंकित जनजातियों के ऐसे व्यक्ति / परिवार जो अविभाजित मध्यप्रदेश के अंतर्गत मूलतः मध्यप्रदेश से संबंध रखते हैं किन्तु मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के लागू होने के पूर्व से पुनर्गठित छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत स्थाई रुप से बस गये है और वर्तमान में निरन्तर छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् है को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे जिस प्रकार मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

2/ उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करते समय समस्त सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवासी के संबंध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करे-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-3/ 2001/1-3, रायपुर, दिनांक 2 जून, 2011

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
21 सी रविनगर, कलेक्टोरेट के पीछे,
रायपुर, (छ.ग.)

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु वेतन/संपत्ति का परीक्षण बाबत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 20/स.अ.अ./2011-12, दिनांक 20.01.2011 एवं
स्मरण-पत्र क्रमांक 153/स.अ.अ/ 2010-11, दिनांक 31.05.2011

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो ।

2/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3, दिनांक 02.06.2011 द्वारा संशोधित परिपत्र जारी किया गया है । परिपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर - 492001

क्रमांक - एफ 9-3/ 2001/1-3 रायपुर, दिनांक 02.06.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की गणना के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.06.2009

अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004- स्था (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में आय/सम्पत्ति के निर्धारण के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2/ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ही इस राज्य में भी सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा रुपये 2.00 लाख वार्षिक से बढ़ाकर रुपये 4.50 लाख वार्षिक किया गया है, लेकिन उसमें आय / सम्पत्ति के आँकलन के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि **वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रुप से नहीं जोड़ा जाएगा।**

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस राज्य द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में आय/ सम्पत्ति के ऑकलन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न होने के कारण, सम्पन्न वर्ग के निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों एवं पालकों के बीच क्रीमीलेयर के संबंध में भ्रांति व्याप्त हैं, जिसके कारण राज्य में कई पात्र व्यक्ति शासन द्वारा दिए जा रहे लाभ एवं अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

3/ चूंकि राज्य शासन के संदर्भित परिपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न है, अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लिखित **''संयुक्त रुप से''** शब्दों को विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग.शासन)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 06-183/ 2010/25-2, रायपुर, दिनांक 25-11-2011

प्रति,

समस्त
कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये उम्मीदवारों से 1950 के अभिलेख मांगे जाने के संबंध में।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जा रहे है, यह उचित नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 428/2003/1/3, रायपुर दिनांक 22 जुलाई 2003 द्वारा स्पष्ट रुप से निर्देशित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा. वि.वि.

पृ.क्रमांक/एफ 06-183/2010/25-2, रायपुर, दिनांक 25-11-2011

प्रतिलिपि :

1. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।
3. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग.।
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक, 25-11-2011

प्रेषक :-

डॉ. अनिल चौधरी,
उप सचिव,
छ.ग. शासन,
आ.जा. तथा अनु. जा.वि.वि.
मंत्रालय, रायपुर

प्रेषिति :-

सचिव
भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया में सरलीकरण बाबत्- छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित संकल्प क्रमांक- 04

संदर्भ : इस विभाग का पत्र क्रमांक- 2344/25-3/2010/आजाक, दिनांक 26-03-2011.

-0-

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में सरलीकरण बाबत् छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वीकृत अशासकीय संकल्प की छायाप्रति प्रेषित करते हुये संकल्प के अनुरुप नियमों में सरलीकरण संबंधी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है, किन्तु इस संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2. पुनः निवेदन है कि, प्रस्तावानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में सरलीकरण करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ. अनिल चौधरी)

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/एफ 13-2/2011/1-3 रायपुर दिनांक, 12-12-2011

//आदेश //

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/आ.प्र./एक, दिनांक 1 अगस्त 1996, परिपत्र क्रमांक 426/2003/1/3, दिनांक 21 जुलाई 2003 व परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च 1997 एवं परिपत्र क्रमांक 428/2003/1/3, दिनांक 22 जुलाई 2003 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। इन निर्देशों में स्थाई प्रमाण-पत्र जारी करने के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विभिन्न कार्यों हेतु जाति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है, छात्रों को समय से जाति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किये जाने से उन्हें काफी असुविधा होती है।

3. आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्रों का अनुसरण करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर स्वयं यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के छात्रों को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में अभियान चलाया जाकर, समस्त पात्र छात्र/छात्राए को 9 वीं से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर शाला छोड़ने के पूर्व उन्हें स्थाई जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाकर उच्च स्तरीय छानबीन से सत्यापन पश्चात प्रदाय करने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

4. उक्त कार्य की मानीटरिंग हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है।

(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 13-2/2011/1-3 रायपुर, दिनांक 12-12-2011

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-14/2011/1-3 रायपुर दिनांक, 12 दिसम्बर 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22.07.2003।

- - - - -

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित समसंख्यक परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए है (छायाप्रति सलग्न) है।

2/ समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि, पिछड़ा वर्गों के लिये जाति प्रमाण जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा पिछड़ा वर्गों के लिये जाति प्रमाण जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7-2/96/आप्र/एक दिनांक 12 मार्च 1997 की कंडिका-6 में विनिर्दिष्ट तिथि 26 दिसम्बर 1984 का पालन किया जाए।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जेवियर तिग्गा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 13-14/2004/1-3 रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

//आदेश //

क्रमांक/18-05/2011/25/2 रायपुर दिनांक, 25-2-2012

राज्य शासन एतद् द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1988-89 विनिमय के नियम 05 के बिन्दु 04 के उप बिन्दु 03 के (क) एवं (ख) में आय सीमा हेतु उल्लेखित प्रावधान को अधिक्रमित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार आय सीमा हेतु प्रावधान संस्थापित करता है :-

वर्तमान आय सीमा जिसे अधिकमित किया जाता है।	आय सीमा जिसे संस्थापित किया जाता है।
1	2
रु. 9,000/- वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस	रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस
रु. 9,001/- से रु. 25,000/- वार्षिक आय तक आधी छात्रवृत्ति एवं पूरी फीस	

2. छात्र-छात्राओं का सटिक डाटाबेस तैयार कराते हुए पात्र छात्रों को ही छात्रवृत्ति का प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
3. छात्रवृत्ति हेतु सीधे छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में राशि अंतरण कराने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. यह आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रभावशील होगा।
5. इस स्वीकृति/संशोधन पर छ.ग. शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक/36/00002372/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 27.1.2012 द्वारा सहमति प्रदान किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी. कुंजाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा. वि.वि.

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक, 31-03-2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय : मान. उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षित पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन।

संदर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.11.2006 एवं परिपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2007।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के संदर्भित पत्र/परिपत्र देखें जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सफल उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश अंतिम रुप से जारी करने के पश्चात उनकी सूची उच्चस्तरीय छानबीन समिति को जांच हेतु सौंपने तथा उच्चस्तरीय छानबीन समिति द्वारा यदि की गई जांच में आरक्षित वर्ग के किसी सफल उम्मीदवार का जाति प्रमाण-पत्र गलत होना पाया जाता है तो उस अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने और उसे तत्काल सेवा से पृथक करने के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए है।

2. शासन के ध्यान में लाया गया है कि नियोक्ता द्वारा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों की केवल सूची ही जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजी जाती है। समिति को उन उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, आवश्यक जानकारी या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते है, जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराने के मामलों में नियोक्ता द्वारा अन्य कोई रूचि नही ली जाती है। कई विभागों में उक्त समिति से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियुक्ति पत्र दिये जाते है, सेवाओ से वंचित रहता है। विभागों द्वारा सूची भेजने के बाद बार-बार समिति से पत्राचार किया जाता है, इस संबंध में जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने पत्र दिनांक 10.03.2011 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि जांच/सुनवाई संबंधित एवं नियोक्ता को पारित आदेश की प्रति के साथ सूचित किया जाता है तद्संबंध में छानबीन समिति को सौंपी गई जांच के संबंध में बार-बार प्रगति प्रतिवेदन मांग कर बाधित न किया जाये।

3. उपरोक्त सब कठिनाईयों को देखते हुए, सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि :-

(1) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनका अनन्तिम (provisional) नियुक्ति आदेश जारी किया जए।

(2) नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया जाए ''कि उसकी नियुक्ति अंनतिम है, अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ति द्वारा उसकी सेवाए समाप्त कर दी जायेगी।'' तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी।

(3) जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रुप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाए।

(4) नियुक्ति आदेश में लेख किया जाए कि संबंधित कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

4. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही हेतु छानबीन समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kumari Madhuri Patil and another Vs. Addiitional Commissioner, Tribal Development and others, AIR 1995 Supreme Court 94 (पुनः Director of Tribunal Welfare, Government of Andhra Pradesh Vs. Laveti Giri and another, AIR 1995 Supreme Court 1506) के प्रकरणों में जारी निर्देशों के अनुपालन में किया गया है और उन निर्देशों में यह स्पष्ट रुप से आदेशित है कि जाति प्रमाण-पत्र की जांच की कार्यवाही यथासंभव शीघ्र, दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही के आधार पर दो माह से अनधिक की अवधि में सम्पन्न की जाएगी। यदि कार्यवाहियों को अंतिमता (Finality) प्रदान करने में विलम्ब कारित हो रहा हो तो, नियुक्ति अनन्तिम रुप से प्रदान की जाएगी जो छानबीन समिति द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के अध्यधीन होगी।

6. अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए, कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 रायपुर, दिनांक 31 मार्च, 2012

भाग-तीन

▲ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित विभिन्न निर्देश

01. पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।
02. जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र

भाग-3

01- पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

मैं, छत्तीसगढ़ का वास्तविक रुप से स्थायी मूल निवासी हूँ। हमारी जाति/ वर्ग जिसे............................ नाम से जाना जाता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से एक पिछड़ी हुई जाति/ वर्ग है।

कृपया इसे पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित जाति/ वर्ग के संबंध में निर्धारित प्रपत्रानुसार जानकारी प्रेषित है :-

1. सामान्य जानकारी :-
   (1) मुख्य जाति / वर्ग का नाम ....
   (2) उपजातियाँ (यदि हो)..
   (3) सरनेम या उपनाम जिन्हें नाम के साथ लिखा जाता हो ....
   (4) वंश या गौत्र (जो प्रचलन मे हो) ....
2. सामाजिक स्तर :-
   (1) उन जातियों/ वर्गों के नाम जिन्हें आप समान स्तर की मानते हैं तथा उनसे समान व्यवहार करते हैं (जैसे- खान-पान, रीति-रिवाज, पारिवारिक उत्सव) ....
   (2) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप कच्चा भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है ....
   (3) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप केवल पक्का भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है ....
   ....
   ....
   (4) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके हाथ से आप केवल पेय जल स्वीकार करते हैं ....
   (5) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां कच्चा, पक्का हर तरह का भोजन स्वीकार करते हैं ....
3. व्यवसाय या पेशा :-
   (1) क्या आपकी जाति या वर्ग वंश परम्परागत रुप से किसी व्यवसाय से संबंधित रहा है ? यदि हां तो व्यवसाय का उल्लेख करें..
   (2) आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का किसी विशेष व्यवसाय से संबंध रहने के पीछे क्या कारण हैं-
   ....
   (3) क्या आप अभी भी उसी परम्परागत व्यवसाय में संलग्न है ? यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवसाय का उल्लेख करें.........
   ....
   (4) आपके विचार से अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग देने के पीछे क्या कारण है ? ....
   ....

(5) अपने परम्परागत व्यवसाय के कारण क्या आपको कभी हीनता का अनुभव हुआ है ? अथवा क्या उक्त व्यवसाय के कारण कभी समाज द्वारा आपको लांछन लगाया गया है ....

(6) यदि आपको अपनी पसन्द का व्यवसाय या रोजगार चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनना चाहेंगे - प्राथमिकता के क्रम से तीन नाम दें

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(7) यदि आपको अपने पुत्र का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों से आप कन्या लेना स्वीकार करेंगे (सभी का उल्लेख करें)

....

(8) यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों के लड़के स्वीकार करेंगे ?

....

(9) आपकी जाति के वैवाहिक या नातेदारी संबंध क्या स्थानीय समुदाय तक सीमित हैं या अन्य क्षेत्रों में फैले हुए है...... यदि अन्य क्षेत्रों में संबंध फैले हुए है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख करे..

(10) विवाह के समय लड़का या लड़की की औसत आयु क्या होती है ?

लड़का .... वर्ष ....

लड़की .... वर्ष ....

(11) आपके जाति समाज और वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतू पहल किस पक्ष द्वारा की जाती है ?

(अ) वर पक्ष

(ब) कन्या पक्ष

(स) या दोनों पक्षों द्वारा

(12) विवाह अथवा अन्य सामाजिक संस्कारों के अवसर पर पुरोहित का कार्य कौन करता है ? ब्राह्मण या अपनी ही जाति के व्यक्ति ?

....

4. जाति या वर्ग संगठन :-

(1) क्या आपकी जाति का पृथक जाति संगठन है ? यदि हो तो निम्न जानकारी दें -

(अ) संगठन का नाम ....

(ब) मुख्य स्थापना तथा शाखाओं के स्थान ....

(स) स्थापना या गठन का वर्ष ....

(द) पदाधिकारियों के नाम एवं पते ....

(इ) जाति नियम ....

(2) जाति की उत्पत्ति के इतिहास एवं इसके संबंध में प्रचलित धारणाओं, लोक कथाओं का उल्लेख करें ....

....

(3) यदि कोई ऐसी विशिष्टता है जो केवल आपकी जाति में ही पाई जाती हो या आपकी जाति की पहचान बन गई हो (उल्लेख करें)

(4) क्या अपनी जन्म जाति के कारण आपको या आपके समाज के किसी व्यक्ति की किसी अन्य जाति द्वारा कभी उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण दें ....

(5) क्या आपने इस आवेदन-पत्र के पूर्व कभी पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो उसका विवरण दें तथा अपने स्तर से किए गए प्रयास का उल्लेख करें ....

(6) पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु किए गए प्रयास से क्या परिणाम निकले ? यदि आपको इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें ....

5. शैक्षणिक स्तर :-

(1) कृपया अपनी जाति / वर्ग के सदस्यों के शैक्षणिक स्तर की निम्नानुसार जानकारी दें -

	पुरुष	महिला
(अ) हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की अनुमानित संख्या	....	....
(ब) स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या	....	....

(2) जाति / वर्ग के सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने में क्या कभी कोई बाधा आई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

....

(3) जाति या वर्ग के उन सदस्यों की संख्या जो स्नातक होते हुए भी अभी तक रोजगार के अवसर के वंचित है।

....

(4) क्या आप समझते हैं कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में आपकी जाति या वर्ग शैक्षणिक रुप से पिछड़ी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

....

6. शासकीय सेवा में नियोजन :-

(1) निम्न सेवाओं में जाति / वर्ग के सदस्यों की अनुमानित संख्या ....

(अ) आई.ए.एस. /आई.पी.एस. एवं समकक्ष पद ....

(ब) डिप्टी कलेक्टर तथा अन्य समान पद ....

(स) डॉक्टर, इंजीनियर एवं समान श्रेणी के अन्य पद ....

(द) तहसीलदार तथा राजपत्रित श्रेणी के अन्य पद ....

(2) शासकीय सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं, क्या उन्हें कभी अपनी जाति या वर्ग के कारण उपेक्षित होना पड़ा है? यदि हां, तो घटना का विवरण दें ....

(3) क्या आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व संतोषजनक है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? ....

(4) शासकीय सेवाओं में आपकी जाति या वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए क्या सुझाव है ?

....

....

....

....

7. जनप्रतिनिधित्व :-

(1) कृपया अपनी जाति या वर्ग के उन व्यक्तियों की संख्या बताएं जो कि निम्न पदों पर निर्वाचित या चयनित होकर आये हों-

(अ) मंत्रिमंडल के सदस्य

(ब) लोकसभा / राज्यसभा सदस्य

(स) विधानसभा सदस्य

(द) पार्षद

(इ) जिला/जनपद अध्यक्ष

(2) क्या आपके विचार से उपरोक्त पदों पर आपकी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इनकी यथेष्ठ संख्या क्या होनी चाहिए ?

(3) उपरोक्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण है? अपने विचार दीजिये ....

8. विशेष टीप :-

(यदि उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त किसी अन्य बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहें तो यहां लिखे)

....

....

स्थान : .... नाम ....

दिनांक : .... पत्र व्यवहार का पता

....

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ।

साक्ष्य :

(1) नाम.. हस्ताक्षर ....

पता ....

(2) नाम.. हस्ताक्षर ....

पता ....

अनुशंसा :-

(यदि आवश्यक समझें तो जाति के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनुशंसा का उल्लेख करें)

....

....

....

....

हस्ताक्षर

नाम..

पद एवं नाम ....

....

02- जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र

प्रारुप

छत्तीसगढ़ शासन

जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति,

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

रायपुर (छत्तीसगढ़)

"जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र"

1. जाति प्रमाण पत्र धारक की सामान्य जानकारी -

1.1 आवेदक का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ....

1.2 आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम : ....

1.3 आवेदक के पिता के पिता (दादाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : ....

1.3.1 आपके दादाजी कहां के मूल निवास थे : ग्राम ....
तह. ....
जिला ....
राज्य ....

1.4 आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम : ....

1.5 आवेदक की मां के पिताजी (नानाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा गोत्र : ....

1.6 आवेदनकर्ता यदि महिला है तो पति का नाम उपनाम सहित (स्पष्ट अक्षरों में) : ....

2. निवास स्थान

2.1 आवेदक का वर्तमान निवास स्थान :-

2.1.1 ग्राम/कस्बा/शहर : ....

2.1.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : ....

2.1.3 विकासखण्ड : ....

2.1.4 तहसील : ....

2.1.5 जिला : ....

2.1.6 राज्य : ....

2.2 आवेदक का स्थाई निवास स्थान (मूल निवास स्थान)

2.2.1 ग्राम/कस्बा/शहर : ....

2.2.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : ....

2.2.3 विकासखण्ड : ....

2.2.4 तहसील : ....

2.2.5 जिला : ....

2.2.6 राज्य : ....

2.3 आपके पिता उक्त स्थाई पते पर कब से निवासरथ थे/ है : ....

2.4 (अ) आपका जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग का है ? ....हाँ/नहीं

(ब) यदि हां तो क्या आपका जन्म दिनांक 26.12.1984 के पूर्व का है ? ....हाँ/नहीं

(स) ब हाँ हो उक्त अंकित दिनांक को आपका मूल निवास स्थान कहां था, पूरा पता लिखें।

2.4.1 ग्राम/कस्बा/शहर : ....

2.4.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : ....

2.4.3 विकासखण्ड : ....

2.4.4 तहसील : ....

2.4.5 जिला : ....

2.4.6 राज्य : ....

2.5 यदि आपका जन्म उक्त बिन्दु 2.4 (व) में अंकित दिनांक के बाद का है तो आपका जन्म दिनांक अंकित करें : ....

2.6 यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो दिनांक 26.12.1984 को आपके पिता/ पूर्वज कहां के मूल निवासी थे ?

2.6.1 ग्राम/कस्बा/शहर : ....

2.6.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : ....

2.6.3 विकासखण्ड : ....

2.6.4 तहसील : ....

2.6.5 जिला : ....

2.6.6 राज्य : ....

(उक्त की पुष्टि के रुप में अपने पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र/ पिता/पूर्वजों के राजस्व (मिसल) अभिलेख/ पिता/पूर्वजों के शैक्षणिक अभिलेक या अन्य तत्कालीन अन्य दस्तावेज प्रमाण का सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

2.7.1 आपके पिता जी छतीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : ....

2.7.2 आप छत्तीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : ....

3. शैक्षणिक जानकारी

3.1 स्वयं की शैक्षणिक जानकारी : ....

3.1.1 शैक्षणिक योग्यता : ....

3.1.2 संस्थायें जहां से आपने शिक्षा प्राप्त किया है : ....

क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर	महाविद्यालयीन माध्यमिक
1	2	3	4	5	6
1.	संस्था का नाम				
2.	ग्राम/कस्बा/शहर				
3.	विकासखण्ड				
4.	तहसील				
5.	जिला				
6.	राज्य				
7.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				

3.2 माता तथा पिता की शैक्षणिक जानकारी

3.2.1	माता शिक्षित हैं या अशिक्षित	:	....
	शिक्षिक हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता	:	....
3.2.2	पिता शिक्षित हैं या अशिक्षित	:	....
	यदि शिक्षित हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता	:	....
3.2.3	आपके पिताजी ने जिस शैक्षणिक संस्था से	:	....
	प्रारंभिक/ प्राथमिक परीक्षा पास की है तो उस	:	....
	शैक्षणिक संस्था का नाम व पूरा पता	:	....
3.2.4	आपकी माताजी किस शैक्षणिक संस्था से प्रारंभिक	:	....
	प्राथमिक परीक्षा पास की है उस शैक्षणिक संस्था	:	....
	का नाम व पूरा पता	:	....
3.2.5	आपके दादा जी शिक्षित थे या अशिक्षित	:	....

4. आपके परिवार एवं निकट संबंधियों का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी संपत्ति (कृषि भूमि संबंधी जानकारी)

4.1	पिता के नाम में कृषि भूमि है अथवा नहीं		हाँ/नहीं
4.2	यदि कृषि भूमि है/ थी तो उसका रकबा एवं	:	....
	स्थान का पूरा पता लिखिये	:	....
4.3	क्या आपके पिता के पिताजी (दादाजी) के		
	नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी अथवा है		हाँ/ नहीं
4.4	यदि है तो उसका एकबा एवं पूर्ण विवरण पता दीजिए	:	....
		:	....
4.5	आपकी माताजी के पिताजी (नानाजी) के		
	नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी/ है		हाँ/नहीं
4.6	यदि हाँ तो उसका रकबा एवं पूरा पता दीजिये	:	....

5. जातिगत जानकारी

5.1.1	आपके पिता की जाति	:	....
5.1.2	उपजाति	:	....
5.1.3	गोत्र	:	....

यदि प्रमाण पत्र धारक यदि महिला हो तो :-

5.2.1	आपके पति का नाम	:	....
5.2.2	उपनाम (सरनेम)	:	....
5.2.3	जाति	:	....
5.2.4	गोत्र	:	....

6. जातिगत व्यावसायिक जानकारी (अर्थोपार्जन के साधन)

6.1 आपकी जाति का परंपरागत व्यवसाय : ....

6.2 आपके पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : ....

6.3 आपके पिता के पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : ....

6.4 आपकी माताजी के पिता का व्यवसाय : ....

6.6 आपके पति/पत्नी के आजीविका के साधन : ....

7. सामाजिक, धार्मिक एवं रीति-रिवाज संबंधी जानकारी

7.1 आपकी मातृभाषा : ....

7.2 क्या आपकी जाति की अलग बोली है हाँ/नहीं

यदि हाँ तो कौन सी : ....

7.3 आपकी कुलदेवी/ कुलदेवता का नाम : ....

7.4 आपकी जाति के के प्रमुख देवी/देवता का नाम : ....

7.5 आपकी जाति के लोकनृत्यों का नाम : ....

7.6 आपकी जाति के लोकगीतों का नाम : ....

7.7 आपकी जाति के प्रमुख त्यौहारों का नाम : ....

7.8 आपकी जाति में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है ? : ....

7.9 क्या आपकी जाति में दहेज प्रथा प्रचलित है ? : ....

7.10 उन जातियों के नाम/ गोत्र लिखिये जिनके साथ आपके जाति के लोगों का वैवाहिक (बेटी लेन-देन) संबंध होता है। : ....

7.11 उन जातियों के नाम लिखिए जिनसे आपकी जाति का रोटी संबंध (खान-पान) होता है। : ....

7.12 आपकी जाति के समकक्ष जातियों के नाम : ....

8. धर्म

8.1 आपके पिता का धर्म : ....

8.2 आपका धर्म : ....

9. अपने निम्नलिखित रिश्तेदारों के संबंध में पूर्ण जानकारी दीजिये :-

क्र.	विवरण	पिता के भाई	माता के भाई	मौसा	पिता के बहन का पति	पत्नि के पिता
1	2	3	4	5	6	7
9.1	नाम					
9.2	जाति					
9.3	उपजाति					
9.4	गोत्र					
9.5	व्यवसाय					
9.6	निवास ग्राम/कस्बा					
9.7	तहसील					
9.8	जिला					

मैं सत्यनिष्ठ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

स्थान : (जाति प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ....

पता ....

....

....

भाग-चार

- 01. अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व दूरभाष क्रमांक
- 02. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट

भाग-4

01. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर में पदस्थ अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व दूरभाष क्रमांक

क्र.	पद	पदनाम	दूरभाष कार्यालय	निवास	मोबाईल नं.
01.	मान. डॉ. सोमनाथ यादव	अध्यक्ष	0771-2429968 0771-2420352		09893078325
02.	मान. श्री प्रहलाद रजक	सदस्य	-''-		09424108942
					09920919190
03.	मान. श्री मुनेश्वर सिंह केसर	सदस्य	-''-		08817909065
04.	मान. श्री देवेन्द्र जायसवाल	सदस्य	-''-		09993334126
05.	मान. श्री शिव चन्द्राकर	सदस्य	-''-		09425244966
06.	मान. श्रीमती ममता साहू	सदस्य	-''-		09406126116
07.	मान. श्री छतरसिंह नायक	सदस्य	-''-		09754000999
08.	श्री लेखराम कुर्रे	सचिव	0771-2429967		09424280608
09.	श्रीमती अनिता डेकाटे	सहा. अनु. अधिकारी	-''-		09713513100
10.	श्री उत्तरा कुमार पटेल	सहा. ग्रेड-03	-''-		09669576851
11.	श्री झामन लाल निर्मलकर	सहा. ग्रेड-03	-''-		08109770687
12.	श्री कोमलप्रसाद यादव	निज सहा.	-''-		09685117444
13.	श्री ओमप्रकाश सिन्हा	निज सहा.	-''-		09752331971
14.	श्री त्रिलोचन सिंह नेताम	भृत्य	-''-		
15.	श्री वीरेन्द्र कुमार यादव	भृत्य	-''-		
16.	श्री उमाशंकर देवांगन	भृत्य	-''-		
17.	श्री ठाकुर राम ठाकुर	भृत्य	-''-		

02. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 4 की धारा 13 (1) के लेखा तथा संपरीक्षा के अंतर्गत आयोग अपना समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

वर्ष 2011-12 में स्वीकृत अनुदान राशि 90.00 लाख में से 80,62,826/- रु. (अक्षरी अस्सी लाख, बैसठ हजार,आठ सौ छब्बीस रुपये) मात्र निम्नानुसार मद में व्यय किये गये है जिसका व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
01.	कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं दैनिक मजदूरी	20,99,264.00
02.	मान. अध्यक्ष/सदस्यों एवं निज स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों का वेतन	8,57,212.00
03.	यात्रा भत्ता	46,977.00
04.	डाक तार व्यय व दूरभाष	97,204.00
05.	मार्गदर्शिका एवं योजना पत्रिका	9,09,500.00
06.	बिजली एवं जल प्रभार	37,095.00
07.	वार्षिक प्रतिवेदन	4,95,165.00
08.	प्रचार-प्रसार	13,87,220.00
09.	विज्ञापन	64,250.00
10	सम्मेलन, जन सुनवाई, मुद्रण आदि	8,36,160.00
11.	स्टेशनरी व्यय	79,254
12.	अन्य आकस्मिक व्यय	9,377.00
13.	पेट्रोल एवं वाहन किराया	4,82,652.00
14.	कार्यालय किराया महसूल कर	1,89,240.00
15.	कार्यालय व्यय	71,784.00
16.	मशीन उपकरण	2,12,566.00
17	कार्यालय फर्नीचर	4,790.00
18.	अन्य व्यय	1,83,116.00
	कुल योग राशि	80,62,826.00

शब्दो में अस्सी लाख, बैसठ हजार, आठ सौ छब्बीस रुपये मात्र

भाग-पाँच

- वर्ष 2011-12 में प्राप्त शिकायतों एवं जाति संबंधित आवेदन पत्रों पर आयोग की कार्यवाही
- सांख्यिकी आँकड़े एवं रेखाचित्र

भाग-5

वर्ष 2011-12 में निराकृत शिकायती प्रकरणों का विवरण

नस्ती क्रं.- 42 2011-12 जिला- बिलासपुर

विषय :- यादव, अहीर के दुग्ध व्यवसायों के हितो को अन्याय रुप से निवारित करने बाबत्।

आवेदक :- स्वयं संज्ञान (छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर

अनावेदक :- 1. मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ.ग.)

2. थाना प्रभारी, आर.पी.एफ. थाना रेल्वे, बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दैनिक नवभारत समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 23.11.2011 की खबर ''कंटेनरो को लात मारकर दूध बहा कर गिरा दिया'' एवं दिनांक 23.11.2011 को दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित खबर ''स्टेशन में 200 लीटर दूध बहा कर गिरा दिया'' आयोग द्वारा दुग्ध व्यवसायियों (अ.पि.व.) के हित संरक्षण के विषय को संज्ञान लेंते हुए मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर एवं थाना प्रभारी, रेलवे स्टेशन बिलासपुर को आयोग के समक्ष उपसंजात होने बाबत् समन जारी किया। प्रकरण में सुनवाई दिनांक 23.12.11 को आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव के समक्ष की गई जिसमें अनावेदकगण की ओर से उपस्थित विधि अधिकारी द्वारा रेलवे स्टेशन में होने वाली अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए विषय के संबंध में आयोग से समस्या निवारण हेतु सुझाव माँगा गया।

अनुशंसा :- आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा दुग्ध व्यवसायियों हेतु बिलासपुर स्टेशन में पृथक शेड निर्माण का सुझाव रखा गया। रेल मंडल प्रबंधक बिलासपुर द्वारा मान. अध्यक्ष के सुझाव पर सहमति जताई गई एवं रेल मंडल प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर की ओर से विधि अधिकारी द्वारा एक लिखित कथन प्रस्तुत किया जिसमें शिकायत के निराकरण के संबंध में कार्यवाही करते हुए दुग्ध व्यवसायियों हेतु पृथक शेड की व्यवस्था / निर्माण किये जाने की सूचना दी गयी की आयोग की अनुशंसा पर दुग्ध व्यवसायियों हेतु पृथक से शेड व्यवस्था की गयी। मान. अध्यक्ष/सदस्यगणों तथा सचिव, छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिनांक 11.01.12 को निरीक्षण कर शेड निर्माण से संतुष्ट होकर प्रकरण निराकरण हेतु सहमति जताते हुए प्रकरण निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 55 2011-12 जिला- बिलासपुर

विषय :- श्रीमती अहिल्या यादव, प्रधान पाठिका की शिकायत की जॉच बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती अहिल्या यादव, प्रधान पाठिका शास. प्राथ. शाला लिगिंयाडीह,

वि.खं. बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- 1. श्रीमती सपना सराफ (पंच), ग्राम-लिगिंयाडीह, वि.खं.- बिल्हा, जिला- बिलासपुर

2. थाना प्रभारी, सरकण्डा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदिका द्वारा श्रीमती सपना सराफ पंच, ग्राम लिगिंयाडीह, वि.ख. बिल्हा, जिला-बिलासपुर द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला लिगिंयाडीह में शाला प्रबंधन विकास समिति की बैठक में बालात प्रवेश कर गाली-गलौच करते हुए मारने के लिए टेबल तक आने एवं शासकीय अभिलेख उठाकर ले जाने की शिकायत की गई प्रकरण की सुनवाई करते हुए आवेदक तथा अनावेदक दोनों पक्षकारों को समक्ष में बुलाकर सुनवाई की गयी। थाना प्रभारी सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) को अनावेदिक सपना सराफ के विरूद्ध दर्ज प्रकरण पर की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र लिखा गया। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। आयोग द्वारा किसी संज्ञेय उपराध का होना न पाया गया अतः भविष्य में किसी भी प्रकार की वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा नहीं करने संबंधी निर्देश दोनों पक्षकारो को दिया गया आवेदिका सहमत हुई, प्रकरण निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 73 2011-12 जिला- बालोद (छ.ग.)

विषय :- छलपूर्वक राशि लेकर ठगी किये जाने की शिकायत की जॉच बाबत् ।

आवेदक :- श्री विजय कुमार चौधरी, ग्राम-कहरीभदर, जिला-बालोद (छ.ग.)

अनावेदक :- श्री वी.के. भण्डारी, शिक्षक शा. उच्च. माध्य. शाला, डौंडीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदका विद्युत मंडल, कहरीभदर, जिला-बालोद में कार्यरत कर्मचारी है, जिसने कक्षा 12 वीं के प्राइवेट परीक्षा दिलाई गयी । आवेदक द्वारा आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई कि अनावेदक ने कक्षा 12 वीं के परीक्षा उत्तीर्ण कराने हेतु 5000 रु. (पांच हजार रुपये) आवेदक से लिये थे । परीक्षा परिणाम उपरांत अनावेदक ने आवेदक को न तो उत्तीर्ण करवाया और न ही 5000 रु. (पांच हजार रुपये) राशि लौटायी । आयोग द्वारा प्रकरण कि सुनवाई दिनांक 23.02.12 को की गई जिसमें आवेदक एवं अनावेदक दोनो पक्ष उपस्थित रहे । आयोग के अथक प्रयास से दोनों के मध्य समझौता कराया गया एवं आवेदक द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत कर आयोग को अवगत कराया कि उसे अनावेदक द्वारा 5000 रु. (पांच हजार) वापस दिये गये है । शिकायत निराकृत मानकर खारिज करने संबंधी निवेदन भी आवेदक द्वारा किया गया । आयोग ने कार्यवाही करते समय हुए प्रकरण निराकृत मानते हुये नस्तीबद्ध किया ।

नस्ती क्रं.- 72 2011-12 जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :- मानसिक, आर्थिक प्रताड़ित किये जाने की शिकायत की जॉच बाबत् ।

आवेदक :- श्रीमती दयमंती साहू, ग्राम-खल्लारी, जिला- महासमुन्द (छ.ग.)
वि.खं. बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- 1. श्री राम ध्रुव, तुसदा क्षेत्र
2. श्री जयसिंग ध्रुव, तुसदा क्षेत्र, जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर (छ.ग.) में झूठी शिकायत कर उसके पति श्री भरतलाल साहू को प्रताड़ित किये जाने का लेख करते हुए आयोग में शिकायत प्रस्तुत कि गयी । आयोग द्वारा शिकायत का परीक्षण किया गया एवं प्रकरण के विषय वस्तु दो आयोगों के मध्य की होने के कारण मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आवेदिका के मानसिक एवं आर्थिक स्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने तथा दर्ज प्रकरण खारिज करने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कर निवेदन किया गया । प्रकरण निराकृत मानते हुए नस्तीबद्ध किया गया ।

नस्ती क्रं.- 50 2011-12 जिला- जॉंजगीर-चापा (छ.ग.)

विषय :- नौनिया समाज खरौद नौनिया समाज के अध्यक्ष द्वारा सामाजिक प्रताड़ना की शिकायत बाबत् ।

आवेदक :- श्री साखी गोपाल, नौनिया शुकूल पारा खरौद, जिला- जॉंजगीर-चांपा (छ.ग.)
वि.खं. बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- श्री विश्वनाथ प्रसाद नौनिया, अध्यक्ष नौनिया समाज खरौद, जिला-जॉंजगीर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आयोग में शिकायत की गई थी की अनावेदक द्वारा सामाजिक स्तर पर समाज से पृथक कर प्रताड़ित किया जा रहा है एवं अनावेदक जो कि पटवारी पद पर कार्यरत शासकीय कर्मचारी है, अपने पद का दुरूपयोग कर झूठे प्रकरण में फँसाने कि धमकी देता है । प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए आवेदक एवं अनावेदक दोनो पक्षों को दिनांक 31.01.12 को मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा बिलासपुर में समक्ष में बुलाया गया दोनों पक्षकार उपस्थित हुए दोनों पक्षकारों को समझाईश दी गई । मान. अध्यक्ष के समक्ष दोनों पक्षकारों द्वारा शिकायत के निराकरण हेतु सहमति दी गई एवं लिखित में आश्वासन दिया कि भविष्य में आपसी वाद-विवाद समाप्त कर देगें । आयोग द्वारा दोनों पक्षों के सहमति पत्र के आधार पर निराकृत मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।

नस्ती क्रं.- 74 2011-12 जिला- बिलासपुर

विषय :- ईट निर्माण हेतु पट्टे पर प्राप्त जमीन पर कब्जा वापस दिलाने बाबत्।

आवेदक :- श्री खोभराम साहू, ग्राम-सुलौनी, तह.-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- 1. श्री राजेश्वर सिंह उर्फ मोनू

2. नरमदेश्वर सिंह उर्फ सोनी, शिवम विहार, ग्राम- बैमा नगोई, मार्ग खमतराई, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

3. अशोक गांधी, दयालबंद, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा ईट भट्टा लीज पर प्राप्त कर चलाया जा रहा था। व्यवसाय में हानि होने के कारण आवेदक द्वारा ईट भट्टा चलाने हेतु अनावेदक अशोक गांधी को लीज अवधि हेतु दिया गया। अशोक गांधी द्वारा अनावेदक को बिना बताये धोखे से ईंट भट्टा अनावेदक क्रं. 2 नरमदेश्वर सिंह उर्फ सोनू, एवं अनावेदक क्रं. 3 राजेश्वर सिंह, उर्फ मोनू को दे दिया गया। लीज अवधि समाप्त होने पर आवेदक द्वारा बार-बार वापस मांगे जाने पर अनावेदकगणों द्वारा उक्त पट्टे को वापस नहीं लौटाया गया जिसके क्षुब्ध होकर अनावेदक द्वारा आयोग में शिकायत की गई। आयोग ने शिकायत को संज्ञान में लिया तथा अनावेदकगणों को नोटिस भेजकर आयोग में उपस्थिति हेतु पत्र लिखा गया अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। अतः आयोग के अध्यक्ष, मान. डॉ. सोमनाथ यादव द्वारा बिलासपुर में प्रकरण की समक्ष में सुनवाई हेतु अनावेदको को समन जारी कर पुलिस अधीक्षक द्वारा नोटिस तामिली किया गया एवं अनावेदकगण उपस्थित किये गये।

अनुशंसा :- मान. अध्यक्ष के समक्ष उक्त प्रकरण पर अनावेदक ने समझौते हेतु लिखित सहमति दी। आवेदक से शिकायत वापस लेने का लिखित निवेदन किया। दोनों पक्षों कि सहमति को देखते हुए प्रकरण निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 58 2011-12 जिला- बिलासपुर

विषय :- शासकीय प्राथमिक शाला लालखदान की मध्यांह भोजन की शेष राशि अप्राप्त होने की शिकायत बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती सरिता निषाद, (अध्यक्ष) माँ दुर्गा स्वसहायता समूह, ग्राम महमन्द लालखदान, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वि.ख.- बिल्हा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदिका द्वारा माँ दुर्गा स्वसहायता बचत समूह लालखदान के माध्यम से कुकिंग एजेंसी का कार्य करते हुए शास. शाला में माध्यान्ह भोजन का कार्य किया जाता रहा था। आवेदिका द्वारा मध्यान्ह भोजन भुगतान की बकाया राशि 31,470 रु. अनावेदिका द्वारा भुगतान नहीं किये जाने कि शिकायत आयोग के समक्ष की गई। प्रकरण के संबंध में आवेदक एवं अनावेदकगणों को आयोग द्वारा उपस्थिति हेतु पत्र प्रेषित किया गया दोनों पक्षों कि सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया गया एवं आयोग ने आवेदिका के दावे को सत्य पाया। अतः आयोग ने अनावेदक को निर्देशित किया कि आवेदिका को मध्यान्ह भोजन की बकाया राशि का भुगतान अभिलेख के परिक्षणोपरांत कर दिया जावे। आयोग के निर्देशानुसार आवेदिका को उसके लंबित भुगतान का परीक्षणोपरांत अनावेदक द्वारा भुगतान किया गया। आवेदिका द्वारा भुगतान प्राप्त किये जाने कि लिखित सूचना आयोग को प्रेषित की गयी। आयोग द्वारा प्रकरण निराकृत मानते हुए नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 32 2011-12 जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय :- श्रीमती रमशीला बाई को न्याय दिलाने बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती रमशीला बाई पति श्री सोमनाथ, ग्राम मानदीप, जिला-रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- वृन्दावन, लोकनाथ व अन्य 13, ग्राम ज्ञानदीप, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदिका द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौच दिये जाने की संबंधी शिकायत पूर्व में महिला आयोग में दर्ज होने संबंधी जानकारी के आधार पर शिकायत को महिला आयोग ने विचाराधीन मानते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज सहित मूलतः प्रकरण महिला आयोग को प्रेषित किया गया। शिकायत निराकृत मानते हुए नस्तीबद्ध की गयी।

◆

नस्ती क्रं.- 173 2009-10 जिला- धमतरी (छ.ग.)

शिकायत :- जुनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) की भर्ती में अनियमितता की शिकायत के संबंध में।

आवेदक :- श्रीमती पुष्पलता गजेन्द्र, मराठापारा, मनीष भवन, धमतरी (छ.ग.)

अनावेदक :- अतिरिक्त सचिव, छ.ग. राज्य विद्युत मंडल, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदिका श्रीमती पुष्पलता गजेन्द्र, मराठापारा, मनीष भवन धमतरी (छ.ग.) द्वारा 02.07.2009 को आयोग में आवेदन प्रस्तुत कर जुनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रेकिल) की भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा अनियमितता की शिकायत प्रस्तुत की गई।

आयोग ने शिकायत का परीक्षण किया एवं उभय पक्षकारों को आयोग में आहूत किया गया। आवेदक द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग में वरिष्ठता उपरांत उसका चयन न करते हुए भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। छ.ग. राज्य विद्युत मंडल होल्डिंग कंपनी मर्यादित तात्कालिक अतिरिक्त सचिव द्वारा आयोग में उपस्थित होकर 08.09.2009 को आयोग के सचिव के समक्ष स्पष्ट किया है कि आवेदिका को सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कहा गया था आवेदिका द्वारा सत्यापित प्रति प्रकरण पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। आयोग ने शिकायत के संबंध में अभिलेख एवं लिखित कथन के परीक्षण उपरांत यह पाया कि आवेदिका द्वारा लगाया आरोप असत्य एवं आधार हीन है। अतः आयोग द्वारा शिकायत बेबुनियाद मानते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 144 2008-09 जिला- दुर्ग (छ.ग.)

शिकायत :- मानदेय प्राप्त न होने व अकारण बर्खास्तगी की शिकायत के संबंध में।

आवेदक :- श्री बृजभूषण लाल सोनी, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग

अनावेदक :- प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग

कार्यवाही :- बृजभूषण लाल सोनी, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग के द्वारा आयोग में आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग के विरूद्ध अकारण बर्खास्तगी एवं मानदेय अप्राप्त होने की शिकायत की गई। प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। आयोग द्वारा उभय पक्ष को बयान हेतु बुलाया गया। आवेदक के शिकायत के संबंध में प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग द्वारा विभाग द्वारा आबंटन के अभाव में आवेदक को मानदेय प्रदान नहीं किये जाने संबंधी बात कही गयी एवं आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट किया कि विभाग से निरंतरता आदेश के अभाव में आवेदक को बर्खास्त किया गया। विभाग से निरंतरता आदेश अप्राप्त होने के कारण किसी पद पर नियुक्ति कर मानदेय प्रदाय करने में प्रशासकीय समस्यायें उत्पन्न होती, जो कि नीतिगत विषय है। आयोग ने प्रकरण के परीक्षण उपरांत यह निश्चित किया कि आबंटन की प्रत्याशा में आवेदक से 5 माह कार्य भी लिया गया। अतः कार्य के एवज में मानदेय भुगतान (प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार) न्यायोचित प्रतीत होता है। आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी कि आवेदक के 5 माह कार्यावधि का बकाया वेतन भुगतान हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विकास विभाग, रायपुर को आबंटन जारी करने हेतु पत्र लिखा जावे। प्रकरण को निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 128 2008-04 जिला- दुर्ग (छ.ग.)

शिकायत :- श्री पुनाधर साहू (भृत्य) के लंबित वेतन पर कार्यवाही बाबत्।

आवेदक :- श्री पुनाधर साहू, चौकीदार, ग्राम-कसही, पोस्ट डौंडीलोहारा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

अनावेदक :- प्राचार्य, संत राजाराम शदाणी नागरिक महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा, जिला-दुर्ग

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आयोग में शिकायत की गयी है कि उसे अनावेदक द्वारा सामान्य/साप्ताहिक अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है तथा मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं उसे माह मई एवं सितम्बर का आधा वेतन भी भुगतान नहीं किया गया है। मान सदस्य महोदय श्री देवेन्द्र जायसवाल द्वारा प्रकरण पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को आयोग में आहूत किया गया।

प्राचार्य, संत राजाराम शदाणी नागरिक महाविद्यालय, डौण्डीलोहारा द्वारा मान सदस्य देवेन्द्र जायसवाल, छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान प्रस्तुत किया गया।

शिकायत प्रकरण पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत विचारणीय बिन्दु पर आयोग द्वारा विचार कर अनुशंसा की गयी कि आवेदक महाविद्यालय प्रबंधन से लिखित में माफी मांगे एवं लिखित आश्वासन दे कि भविष्य में अनुशासन हीनता नहीं करेगा व प्रबंधन के कार्यो में सहयोग करेगा। आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गयी कि महाविद्यालय प्रबंधन आवेदक को पुनः कार्य पर रखते हुए पिछले लंबित वेतन का भुगतान करें तथा आवेदक को शासन के सामान्य/साप्ताहिक अवकाश प्रदान किये जावे ताकि आवेदक पारिवारिक दायित्वों को निर्वहन कर सकें।

◆

नस्ती क्रं.- 183 2009-10 जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :- ट्रैक्टर फायनेंस खाते में अतिरिक्त राशि जमा कराये जाने शिकायत के संबंध में।

आवेदक :- श्री पुनित राम यादव, ग्राम कसहीबाहरा, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला-महासमुन्द

अनावेदक :- शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, पिथौरा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यवाही :- श्री पुनित राम यादव, ग्राम-कसहीबाहरा, विकासखण्ड बागबाहरा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) द्वारा शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक के विरूद्ध, ट्रैक्टर फायनेंस में 30247 रु. (तीस हजार दो सौ सैतालिस रुपये) अतिरिक्त जमा कराये जाने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की गयी है। आवेदक के पिता स्व. श्री मोहन सिंह द्वारा वर्ष 1996 में भूमि विकास बैंक रायपुर शाखा-पिथौरा से ट्रैक्टर फायनेंस कार्य हेतु 2 लाख 29 हजार रुपये में ट्रैक्टर फायनेंस कराया गया था। आवेदक द्वारा कुल 5,33,727 रुपये ऋण खाते में वर्ष 2009 पर्यन्त जमा कराये गये जिसमें से 30.247 रुपये का धान क्रय सहकारी समिति, सोनासिल्ली में रसीद क्रमांक 377/11 दिनांक 25.01.2002 द्वारा जमा कराया गया। जिसका भुगतान 21.03.2002 को चेक क्रमांक 5418519 जिला सहकारी केन्द्रिय बैंक रायपुर, शाखा- पिथौरा द्वारा भुगतान किया चिल्हर के अभाव में बैक द्वारा 3 रु. नगद लेकर 30.250 रुपये भुगतान किया गया जो कि धान क्रय सहकारी समिति के चेक से प्राप्त राशि थी एवं उसी तिथि को पुनित राम यादव के द्वारा भूमि विकास बैंक में रसीद क्र. 5937/60 के द्वारा 30.250 रुपये जमा किया जिसे त्रुटि वश दो बार जमा होने संबंधी आरोप आवेदक द्वारा लगाया गया था आवेदक द्वारा दिनांक 31.05.1997 को ऋण खाते में 10,000 रुपये जमा कराये गये जिसे ऋण खाते बही में त्रुटिवश बैंक द्वारा 1,000 रुपये अंकित किया गया था परन्तु कैश बुक में सही प्रविष्टि 10,000 रु. की प्रविष्टि की गयी। आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार परीक्षण उपरांत आवेदक की शिकायत को निराधार मानते कर शिकायत को नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 174 2008-09 जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- अतिरिक्त लोक अभियोजन एवं शास. अभिभाषक के पद नियुक्ति की अनियमितता की शिकायत

आवेदक :- श्री चुरावन सिंह वर्मा, अधिवक्ता, कुर्मीपारा बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

अनावेदक :- उपसचिव, विधि विधायी कार्य विभाग, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा विधि विधायी विभाग के विरूद्ध अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अभिभाषक के पद पर नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत आयोग में की गयी। शिकायत का परीक्षण कर आयोग द्वारा दोनों पक्षों को आयोग में बुलाकर लिखित कथन दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बयान एवं प्रस्तुत अभिलेखों का आयोग में विस्तार से परिशीलन किया आवेदक वर्ष 1994 से 2005 तक अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक बेमेतरा के पद पर नियुक्त था एवं सत्र न्यायधीश, जिला-दुर्ग में रिक्त पद के ज्ञापन दिनांक 16.09.2004 के संदर्भ में अतिरिक्त लोक अभियोजन एवं शासकीय अभिभाषक दुर्ग के लिए आवेदन किया था। शिकायत के संबंध में आयोग में उपसचिव, विधि विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर उपस्थित हुए एवं आयोग के समक्ष विभाग के मेनुअल सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा अपना कथन दर्ज कराया जिसमें शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधी विधि विधायी कार्य विभाग के मैन्यूवल में जाति आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होना बताया गया है। आवेदक द्वारा लगाये आरोप रोहित ठाकुर को फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति देने को भी निराधार बताया गया तथा रोहित ठाकुर को सामान्य वर्ग में शामिल करते हुए नियुक्ति देने की बात कही। अनावेदक के बयान एवं अभिलेख के परीणोपरांत आयोग द्वारा शिकायत को निराधार मानकर निराकृत करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

नस्ती क्रं.- 22 2010-11 जिला- रायपुर (छ.ग.)

शिकायत :- अकारण बर्खास्त किये जाने की शिकायत की जॉच बाबत्।

आवेदक :- श्री आनंद राम साहू, चौकीदार, जवाहर नगर वार्ड, जोरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- सचिव, खालसा शिक्षण समिति, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा खालसा शिक्षण समिति, रायपुर के विरूद्ध शिकायत की गई है कि अनावेदक द्वारा मान. उच्च न्यायालय के पारित आदेश क्र. 1210/09 दिनांक 28.08.2011 की अनदेखी करते हुए एवं स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के आदेश दिनांक 03.05.1994 का परिपालन न करते हुए आवेदक को बर्खास्त किया गया है। शिकायत का परीक्षण किया गया आयोग के परीक्षण उपरांत आवेदक आनंद राम साहू द्वारा वर्ष 1991 में आयुक्त, लोक शिक्षण के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील के लंबित रहते ही आनंद राम साहू द्वारा मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में एक रिट याचिका क्रमांक एम.पी. नं. 1723/91 प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.09.2008 को आनंदराम साहू द्वारा प्रस्तुत अपील को मान्य करते हुए आयुक्त, लोक शिक्षण रायपुर (छ.ग. गठन उपरांत) आवेदक के वित्तीय स्वतः भुगतान संबंधी आदेश करते हुए बर्खास्तगी आदेश को अपास्त किया था। खालसा शिक्षण समिति द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण रायपुर के आदेश दिनांक 17.09.2008 के विरूद्ध रिट याचिका क्रमांक 1210/2009 उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत की गई जिस पर कार्यवाही मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में लंबित है। आनंद राम साहू की याचिका क्रमांक 1723/91 पर दिनांक 23.04.2009 को उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अंतिम सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए बर्खास्तगी आदेश की वैधता के प्रश्न को खारिज किया गया। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा आदेश दिनांक 17.09.08 द्वारा लंबित भुगतान व बर्खास्तगी को अमान्य किया गया है। प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत आयोग द्वारा शिकायत का विषय मान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मानते हुए शिकायत को नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 199 2008-09 जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदोन्नति में अनियमितता की शिकायत।

आवेदक :- परदेशी राम साहू, चौकीदार, आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, माना रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, माना, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा आयोग में शिकायत की गई है कि रोजगार जनशक्ति एवं नियोजन विभाग द्वारा उसे वरिष्ठता एवं पदोन्नति से वंचित रखा गया है तथा कनिष्ठ को पदोन्नत किया गया है। शिकायत का परीक्षण किया गया संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 30.10.1986 द्वारा आकास्मिता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के रुप में आवेदक को नियुक्त किया गया म.प्र. रोजगार प्रशिक्षण संस्थान के आदेश दिनांक 01.04.1999 द्वारा आवेदक को चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी (सहायक वर्ग-03) के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 30.08.1999 को संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा आवेदक को सहायक ग्रेड-03 की नियुक्ति संबंधी पात्रता नहीं रखने के कारण पदोन्नति निरस्त कर पदावनत किया गया। परीक्षण में आयोग को यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि आवेदक से कनिष्ठ किसी भी कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया गया। आकस्मिता निधि में कार्यरत कर्मचारी का वरिष्ठता सूची का संधारण नहीं किया जाता है। अतः वरिष्ठता का प्रश्न अमान्य किया गया। छत्तीसगढ़ शासन रोजगार एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा संस्था हेतु स्वीकृत नवीन पद संरचना में विभाग में कार्यभारित तथा आकस्मिता निधि सेवा के पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं सभी पद नियमित सेवा के है। जिस पर विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन से नियुक्ति संबंधी निर्देश पृथक से मांगा गया है। शिकायत को निराकृत मानकर प्रकरण खारिज करते हुए नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 129 2008-09 जिला-दुर्ग (छ.ग.)

शिकायत :- कर्मचारियों की सेवा समाप्ति एवं निलंबन की शिकायत के संबंध में।

आवेदक :- श्री लक्ष्मी नारायण सिन्हा, ज्ञानदीप बालश्रमिक शाला मुरुम खदान कोहका, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

अनावेदक :- 1. परियोजना निदेशक, बालश्रम परियोजना, दुर्ग

2. श्री शेषनारायण शुक्ला, क्षेत्रीय अधिकारी, बाल श्रम परियोजना, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी पाटन एवं परियोजना निदेशक बाल श्रम परियोजना, दुर्ग के विरूद्ध शिकायत की गई है कि इन्हें दुर्भावनावश कार्यवाही करते हुए व्यवसायिक अनुदेशक के पद से सेवा समाप्त कर मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया, तथा मान. उच्च न्यायालय विलासपुर के स्थगन आदेश की अवमानना की गई है आयोग द्वारा शिकायत का परीक्षण किया गया एवं उभय पक्षों द्वारा लिखित कथन लिया गया। परियोजना निदेशक बाल श्रम परियोजना दुर्ग द्वारा बताया कि श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त आवंटन से संचालित बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत व्यवसायिक निदेशक की नियुक्ति एवं बर्खास्ती संबंधी कार्य हेतु एन.जो.ओ. नियुक्त किये जाते है। एवं इस प्रकरण से संबंधित संस्था हेतु नियुक्ति एन.जी.ओ. एजेंसी का नाम व पता प्रस्तुत किया गया। नाम एवं पता उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण के संबंध में उनका एन.जो.ओ. का बयान नहीं लिया जा सका। श्रम विभाग नई दिल्ली की संचालित बाल श्रमिक योजना के परियोजना निदेशक दुर्ग द्वारा आवेदको को बिना कारण बताए तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना बर्खास्त किया गया। ज्ञानदीप बाल श्रम शाला मुरूम खदान कोहका भिलाई दुर्ग में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति विवरण फरवरी 2001 से जुलाई 2002 तक न किये जाने संबंधी शिकायत पर आयोग द्वारा अभिलेख मांगे गये। अनावेदक द्वारा अभिलेख भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये अतः प्रकरण में आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी।

◆

नस्ती क्रं.- 57 2007-08 जिला- महासमुन्द (छ.ग.)
विषय :- ब्रांच परिवर्तन कर फीस वापस न किये जाने की शिकायत की जांच बाबत्
आवेदक :- श्री पूरन सिंह पटेल, ग्रा. कुम्हारी, पो. सिंघनपुर, वि.खं. बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
अनावेदक :- प्राचार्य, आर.आई.टी. कालेज, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- श्री पूरन सिंह पटेल द्वारा आर.आई.टी.ई. महाविद्यालय रायपुर के विरूद्ध प्रवेश निरस्त किये जाने के उपरांत फीस वापस न किये जाने की शिकायत प्रस्तुत की है। शिकायत का आयोग द्वारा परीक्षण किया गया। पूरन सिंह पटेल के पुत्र दुबे प्रकाश पटेल द्वारा बी. फार्मेसी प्रथम वर्ष में दिनांक 19.07.2007 को 10,000 रु. शिक्षण शुल्क जमा कर प्रवेश लिया गया एवं 4,500 रु. वाहन शुल्क के लिए जमा किया गया। आवेदक के पुत्र का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शिक्षण विभाग (बी. फार्मेसी) के प्रथम वर्ष में दिनांक 04.01.2004 को प्रवेश होने के कारण आर.आई.टी.ई. महाविद्यालय से आवेदक द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त कर महाविद्यालय छोड़ दिया गया। जिसके उपरांत महाविद्यालय प्रशासन से बार-बार आवेदक ने निवेदन किया परन्तु महाविद्यालय प्रशासन आर.आई.टी.ई. द्वारा शुल्क वापस नहीं किया गया।

अनुशंसा :- आयोग द्वारा शिकायत का परीक्षण किया गया। अनवादेक द्वारा आयोग में उपस्थित होकर लिखित कथन दिया गया कि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस्लामिक अकादमी ऑफ एजूकेशन के विरूद्ध कर्नाटक राज्य के मामले में मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत दिव्य प्रकाश गजेन्द्र से चार वर्ष के शिक्षण शुल्क का उत्तरदायी है। महाविद्यालय स्तर पर ब्रांच परिवर्तन नहीं किया जाता इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रकरण उक्त आधार पर निराकृत मानकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 113 2009-10 जिला- रायपुर (छ.ग.)
विषय :- पिता की जाति न लिखे जाने के संबंध में जॉच
आवेदक :- श्री विकास परगहनिया, 859, सुन्दर नगर, कारगिल चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक :- श्रीमती प्रीतिबाला मिश्रा, 300/ए, सुन्दर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक एक अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है जिसने अनावेदिका (सामान्य वर्ग) से अंतर्जातीय विवाह किया। अपरिहार्य कारणों से पति-पत्नि ने तलाक के लिए आवेदन दिया है और अलग-अलग रहते है। उनकी पुत्री कु. हवि अनावेदिका (प्रीतिबाला मिश्रा) के साथ रहती है। आवेदक द्वारा अनावेदिका के विरूद्ध यह शिकायत कि गई है की अनावेदिका के उसकी पुत्री कि जाति में कुर्मी के स्थान पर ब्राम्हण लिखवा दिया है जिस कारण उसकी पुत्री को अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभों से वंचित हो रही है। शिकायत के परीक्षण कर दोनों पक्षकारों का आयोग ने आहूत किया गया एवं उनके लिखित कथनों का परीक्षण करने के उपरांत

आयोग द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम 1956 की व्यवस्था के आधार पर विकास परगहनिया एवं प्रीतिबाला मिश्रा की पुत्री कि जाति के संबंध में निर्देशित किया गया कि पुत्री हवि की जाति पिता कि जाति के आधार पर अभिलेखों में दर्ज किया जावे। आयोग द्वारा अनुशंसा कि गयी कि चूंकि आवेदक एवं अनावेदिका हिन्दुधर्मानुयायी है अतः पितृ सत्तात्मक परिवार होने के कारण आवेदक अनावेदिका के पुत्री की जाति विकास परगहनिया कि जाति से मान्य किये जाने की अनुशंसा उपरोक्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 95 24.09.2011 जिला- रायपुर (छ.ग.)

विषय :- जिला अत्यावंसायी विकास राजनांदगांव द्वारा ऋण में अनियमितता की जाँच बाबत्।

आवेदक :- 1. श्री शिवरतन सिन्हा, आ. श्री मुरलीधर सिन्हा, राजनांदगाँव (छ.ग.)

2. श्री गोपालराम धोबी, आ. श्री बल्ला धोबी, राजनांदगाँव (छ.ग.)

3. श्री षशोण कुमार, आ. श्री नरेन्द्र कुमार, मोतीपुर वार्ड क्रं. 6 राजनांदगाँव (छ.ग.)

4. श्री राजेन्द्र कुमार देवांगन, आ. श्री सुन्दर लाल देवांगन, राजनांदगाँव (छ.ग.)

5. श्री महेश्वर सिंह जघेल, आ. श्री शंकर जघेल

6. श्री मुन्ना जायसवाल, आ. श्री श्यामा लाल जायसवाल, राजनांदगाँव (छ.ग.)

7. श्रीमती लक्ष्मी बाई, पति श्री कुवर सिंह

अनावेदक :- श्री जे.सी. मेश्राम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजनांदगाँव

कार्यवाही :- आवेदकगणों द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आयोग में यह शिकायत कि गई कि अनावेदक द्वारा अत्यावसायी वित्त विकास निगम के मध्यम ऋण/माइक्रो क्रेडिट ऋण/महिला समृद्धि ऋण में अनियमितता की गई है आयोग में शिकायत का परीक्षण किया आवेदकगणों एवं अनावेदक को लिखित कथन हेतु अभिलेखों सहित आयोग में आहूत किया गया। प्रकरण के परिशीलन किया गया अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का त्रुटि पूर्ण मानते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि अनावेदक द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता कि गई है एवं आयोग में शिकायत के उपरांत ऋण वितरण के त्रृटिपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करते हुए आवेदकगणों को ऋण वितरण किया गया। आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी कि अनावेदक द्वारा शासकीय कार्य में की गयी अनियमितता हेतु विभागीय कार्यवाही की जावे। प्रकरण निराकृत किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 13 2011-12 जिला- कांकेर (छ.ग.)

विषय :- अनु.जाति/अनु. जनजाति विशेष अधिनियम के तहत झूठी शिकायत संबंधी।

आवेदक :- श्री डाकेश्वर सोनी, निवासी सुभाष वार्ड/ अन्नपूर्णापारा कांकेर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

अनावेदक :- श्री सुकदेव राम सोरी जाति गोड़ ग्राम गोतपुर तह. कांकेर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक वकालत कार्य करता है। आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई जिसमें अनावेदक के द्वारा 28000 रु. गबन किये जाने के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने के खबर को लेकर बदले कि भावना से योजना बनाकर पुलिस अधीक्षक क्राइम जिला स्तर बस्तर को शिकायत की गई जिससे आवेदक को आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण विशेष न्यायालय में विचारधीन होने के फलस्वरुप आयोग द्वारा आवेदक को सूचना देकर नस्तीबद्ध किया गया।

◆

नस्ती क्रं.- 24 2011-12 जिला- महासमुन्द (छ.ग.)

विषय :- अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिये जाने बाबत्।

आवेदक :- श्री अमित सोनी, आ. श्री आनंद कुमार सोनी, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

अनावेदक :- कुलपति, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के विरूद्ध सी.एल.ए.टी. की प्रवेश परीक्षा 2011 में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ से वंचित किये जाने की शिकायत की गई जिसमें उसके भविष्य का एक वर्ष खराब हुआ। आयोग ने अन्य पिछड़ा

वर्ग के छात्र के हित संरक्षण के विषय को गंभीरता से लेते हुए परीक्षण किया कुलपति हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय से छात्र की जानकारी प्राप्त की जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आवेदक द्वारा सी.एल.ए.टी. प्रवेश परीक्षा 2011 में अनारक्षित वर्ग के रिक्त सीट में प्रवेश चाहता था। नियमानुसार अनारक्षित वर्ग के रुप में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्र को वर्ग परिवर्तित कर आरक्षित रिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदक को इस संबंध में सूचित किया गया। प्रकरण निराकृत माना गया।

◆

नस्ती क्रं.- 19 2011-12 जिला- कांकेर (छ.ग.)

विषय :- श्रीमती किरण रजक की संदिग्ध मृत्यु के संबंध में।

आवेदक :- श्री उदयराम, आ. विशाल राम रजक, ग्राम- कन्हारपुरी, तह. व जिला कांकेर (छ.ग.)

अनावेदक :- श्री गणपत रामं सोनवानी, ग्राम हाराडला, तह. व जिला-कांकेर (छ.ग.)

कार्यवाही :- आवेदक द्वारा अपनी पुत्री किरण रजक कि संदिग्ध मौत से क्षुब्द होकर अनावेदगण के विरूद्ध शिकायत आयोग में दर्ज कराई आयोग द्वारा शिकायत के साथ संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया एवं अनावेदगणों के विरूद्ध सूक्ष्म जॉच कर कार्यवाही का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक जिला कांकेर से मांगा गया पुलिस अधीक्षक कांकेर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में लेख है कि सूचना आवेदक एवं उसके परिजनो को विलंब से दी गयी जबकि गवाहों के कथन से स्पष्ट हुआ है कि आवेदक को किरण के संबंध में सूचना देने का काफी प्रयास किया गया किन्तु फोन न लगने के कारण रात तक सूचना नहीं दी जा सकी आवेदक द्वारा भी किरण को शादी के बाद कभी भी परेशान किये जाने की बात नहीं बताई गयी इस प्रकार आरोप अप्रमाणित पाया गया आयोग द्वारा तदोपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

◆

छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अनुसूची में नवीन जातियों के समावेशन हेतु आयोग की अनुशंसा –

रौनियार जाति :-

रौनियार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने बाबत् आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ। आयोग की टीम द्वारा दिनांक 26.10.09 से 30.10.09 तक कोरबा, कोरिया, सरगुजा व जशपुर जिलों का क्षेत्र भ्रमण एवं राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कर अनुसंधान कार्य किया गया। आयोग के मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा भी दिनांक 03.02.2012 को सरगुजा जिले में समाज के व्यक्तियों से समक्ष में सुनवाई की गयी जिस संबंध में आयोग की बैठक दिनांक 29.03.2012 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर तथा संलग्न के भू-राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत प्रस्तुत अभिमत इस प्रकार है- रौनियार जाति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण एवं चर्चा के दौरान अध्ययन/अनुसंधान किया गया जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ की इस जाति को रहन-सहन, संस्कार शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास पिछड़ा हुआ है आर्थिक रुप से सम्पन्न न होने के कारण रौनियार समाज के अधिकांश व्यक्ति दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत है। रौनियार जांति के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर को विकसित करने के लिए इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित किया जाना उचित प्रतीत होता है। रौनियार जाति पर चर्चा करते हुए मान. छतरसिंह नायक, मान देवेन्द्र जायसवाल, मान. मुनेश्वर सिंह केशर द्वारा यह सुझाव प्रस्तावित किया गया कि रौनियार जाति को पृथक अनुक्रमांक में स्थापित किये जाने की अनुशंसा की जाए।

खर्रा जाति :-

छ.ग. शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक 7512/30/बी.आई.पी.-25-22/ आदिम जाति विकास/04 के माध्यम से मान. मुख्यमंत्री जी को संबोधित खर्रा जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधी आवेदन कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के उपरांत आयोग द्वारा दिनांक 05.11.2009 को आवेदन पर संज्ञान लेते हुए खर्रा जाति के अनुसंधान हेतु रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जशपुर, महासमुन्द व कोरबा जिलो में क्षेत्र भ्रमण एवं अनुसंधान किया गया। अनुसंधान/अध्ययन के दौरान जांजगीर जिले के शक्ति, डभरा, चन्द्रपुर रायगढ़ जिले के सारंगढ़, बरमकेला, लुढ़ेग, राजपुर (लैलुंगा) महासमुन्द जिले के सरायपाली, बसना, पिथौरा जशपुर जिले के सरिया एवं कोरबा जिले के घरघोड़ा में निवासरत खर्रा जाति के सदस्यों से भेंट की गई। मान. सदस्य श्री मुनेश्वर केशर द्वारा खर्रा, खडरा खड्डरा, खोडरा विभिन्न नामों से जाने जानी वाली खर्रा जाति के आवेदन के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन आयोग के समक्ष रखा गया। अनुसंधान प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं एवं क्षेत्र भ्रमण तथा प्राप्त राजस्व अभिलेखों के आधार पर आयोग के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत की एवं उन्होने आयोग को बताया की खडरा जाति के अनुसंधान/क्षेत्र भ्रमण के दौरान समाज के व्यक्तियों से चर्चा से यह परिलक्षित होता है कि खर्रा, खडरा, खड्डरा, खोडरा जाति मूल जाति के मात्रात्मक एवं उच्चारण संबंधी हल्के से फर्क के कारण शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं/योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है। खर्रा जाति का रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा संस्कार अन्य पिछड़ा वर्ग के समकक्ष तथा शैक्षणिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। खर्रा जाति को आयोग के द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर पिछड़ा मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित करने की अनुशंसा हेतु सभी उपस्थितगणों द्वारा सहमति दी गई।

बया जाति :-

बया जाति के समाज प्रमुखों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 78 पर शामिल वया जाति को मात्रात्मक त्रुटि बताते हुए सुधार कर बया किए जाने बाबत् आवेदन आयोग के समस्त प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 05.07.11 को राजनांदगाँव तथा खैरागढ़ क्षेत्रों में निवासरत बया समाज के सदस्यों से भेंट कर क्षेत्रीय अध्ययन/ अनुसंधान किया गया।

मान. सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल द्वारा बया जाति का अध्ययन/अनुसंधान कर आयोग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के सूची के अनुक्रमांक 78 पर स्थापित वया जाति के टंकण में मात्रात्मक त्रुटि मानते हुए इसे बया किये जाने के संबंध में अभिमत इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। बया जाति के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन/अनुसंधान एवं समक्ष में चर्चा में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि छ.ग. राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 78 पर बया महरा/कौशल के उपरांत स्थापित वया जाति वास्तव में छत्तीसगढ़ में निवासरत बया जाति ही है। छ.ग. राज्य में वया नाम से अन्य कोई जाति निवासरत नहीं है। संभवतः टंकण त्रुटि वश बया जाति के स्थान पर वया टंकित हुआ होगा, इनका रहन-सहन, संस्कार, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, स्तर पिछड़ा हुआ है। ये दूरस्थ ग्रामीण अंचल में निवासरत है अतः इनका शैक्षणिक, सामाजिक विकास न्यून है। इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवेदन पर आयोग के सभी सदस्यगणों द्वारा सहमति दी गई। बया जाति के प्रस्तुत प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा सर्वसम्मति से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 78 पर वया के उपरांत शामिल किए जाने की अनुशंसा हेतु सहमति प्रदान की गई। शासन को जाति स्थापित किये जाने बाबत् अनुशंसा प्रेषित की गयी।

भोरतिया/भोरथिया जाति :-

भोरतिया/भोरिथिया जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए आयोग की टीम द्वारा दिनांक 03.03.2012 को सिरकट्टी आश्रम ग्राम-कुटेना, पाण्डुका (राजिम) के ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्र भ्रमण किया गया एवं 21.03.2012 को महासमुन्द विकासखंड के ग्राम-मुरकी एवं 22.03.2012 को धमतरी जिले के विकासखंड कुरूद एवं मगरलोड का दौरा किया गया। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक धमतरी में मान. अध्यक्ष द्वारा समक्ष में सुनवाई की गई। मान. सदस्य श्रीमती ममता साहू द्वारा भोरतिया/भोरथिया जाति को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, महासमुन्द, धमतरी एवं गरियाबंद जिलों के विकासखंडों के अध्ययन के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भोरतिया/भोरथिया जाति जो पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय करती है। वास्तव में यह जाति छ.ग. राज्य की सूची के अनुक्रमांक 14 पर भुर्तिया का अपभ्रंश एवं उच्चारण में अंतर है। कालान्तर में भुर्तिया एवं भुतिया जाति को लिखे जाने की मात्रात्मक त्रुटि के कारण भोरतिया/भोरथिया शब्द प्रचलन में आया ये अन्य पिछड़ा वर्गों के समकक्ष ही शैक्षणिक, सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए है। अतः आयोग द्वारा इन्हें छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुक्रमांक 14 पर भुर्तिया, भूतिया के उपरांत शामिल किया जाना उचित प्रतीत होता है। जिसे आयोग के मान. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यगणों द्वारा सहमति दी गई। शासन को जाति शामिल किये जाने बाबत अनुशंसा प्रेषित की गयी।

केंवट जाति :-

आयोग को केंवट जाति द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अनुस्वर संबंधी त्रुटि सुधार का निवेदन किया गया था केंवट जाति में त्रुटिवश अनुस्वार टंकित न हो के कारण (ें) स्थान पर (े) लिखा गया जिससे इन्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं सत्यापित कराने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था आयोग द्वारा आवेदन एवं संलग्न भू-राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा आवेदन एवं संलग्न भू-राजस्व अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा चर्चा कर इसे अनुस्वार संबंधी त्रुटि होने से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में होने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु मात्रात्मक त्रुटि सुधार संबंध प्रतिवेदन की अनुशंसा की गई एवं सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

यादव, राऊत, ग्वाला :-

मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा यादव, राऊत, ग्वाला जातियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं सत्यापन कराने में होने वाली कठिनाईयों पर चर्चा की गयी। छ.ग. राज्य की अ.पि.व. की राज्य सूची में अनुक्रमांक 01 पर शामिल अहीर जाति के उपजाति के रुप में जादव के कोष्टक में यादव को शामिल किया गया। बैठक में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा में कहा गया कि छ.ग. यादव बाहुल्य क्षेत्र है एवं छ.ग. में निवासरत इस जाति के व्यक्ति यादव लिखते है एवं उसके राजस्व अभिलेखों में यादव लिखा होने के कारण उनके जाति प्रमाण-पत्र बनाने एवं सत्यापन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः यादव जाति को पृथक से छ.ग. राज्य की

अ.पि.व. की सूची में स्थापित किया जावें। बैठक में राऊत जाति पर चर्चा की गयी। छ.ग. में राऊत जाति को भी अनुक्रमांक 01 में शामिल किया गया है किन्तु राऊत जाति के राजस्व अभिलेखों में भी त्रुटिवश राऊत लिखा गया है। जिसके फलस्वरुप उन्हें भी जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं सत्यापन में कठिनाई हो रही है। आयोग की बैठक में अनुशंसा की गयी कि अनुक्रमांक 01 पर राऊत जाति को स्थापित किया जावे। अनुक्रमांक 01 पर ही ग्वाली जाति को शामिल किया गया है इस जाति के समुदाय के व्यक्तियों के राजस्व अभिलेखों में त्रुटिवश ग्वाला लिखा गया है। अतः इस जाति का प्रमाण पत्र बनवाने एवं सत्यापन में कठिनाई आ रही है, इसे भी अनुक्रमांक 01 में शामिल किये जाने की अनुशंसा की गयी।

इस प्रकार बैठक में यादव, राऊत, ग्वाला जाति को अनुक्रमांक 01 में गोपाल के उपरांत स्थापित किये जाने हेतु सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंसा करने के लिए सहमति प्रदान की एवं आयोग के सचिव को अनुशंसा प्रेषण हेतु कहा गया।

23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2012 तक शिकायत संबंधित प्राप्त आवेदनों का विवरण

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत	खारीज	निर्णय स्तर	कार्यवाही जारी
1	2	3	4	5	6
23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008	36	29	06	01	00
1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009	45	38	03	04	00
1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010	39	34	01	04	00
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011	22	18	00	03	01
1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012	68	29	00	08	31
योग	210	148	10	20	32

अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2012 तक जाति शामिल करने संबंधी प्राप्त आवेदनों का विवरण :-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत जातियां	कार्यवाही जारी (लंबित जातियां)
01 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक (27 आवेदन अविभाजित मध्यप्रदेश से प्राप्त)	06 (33-27)	28	05
01 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक	12	09	03
01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक	06	03	03
01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक	04	02	02
01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक	13	07	06
योग-	68	49	19

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठनोंपरांत प्राप्त शिकायतों/जाति समावेशन/विलोपन हेतु आवेदनों की स्थिति

A वर्षवार प्राप्त शिकायत संबंधी आवेदनों की स्थिति।

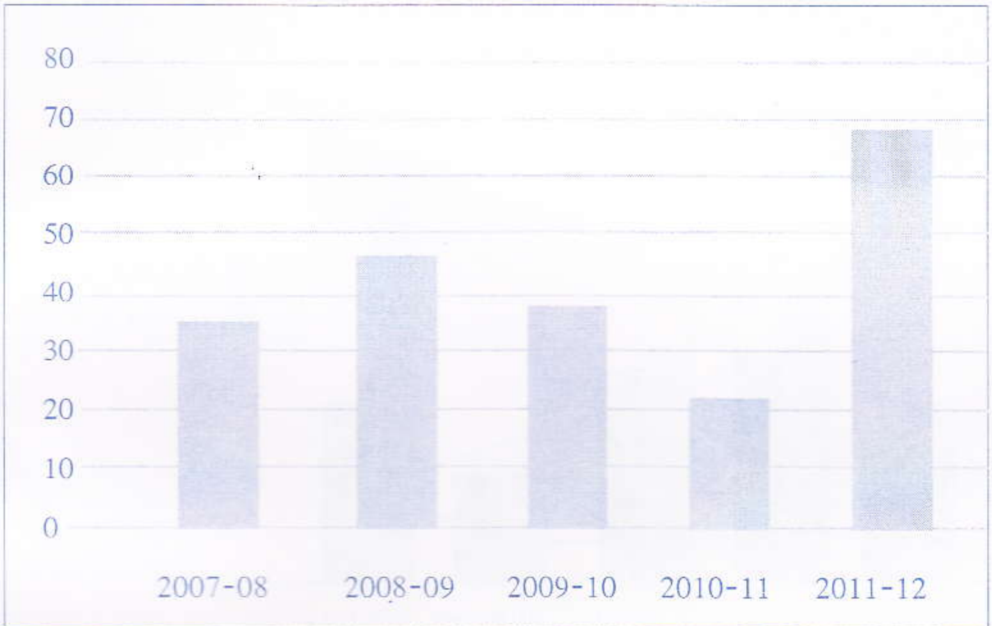

B वर्षवार प्राप्त जाति समावेशन/विलोपन संबंधी आवेदनों की स्थिति।

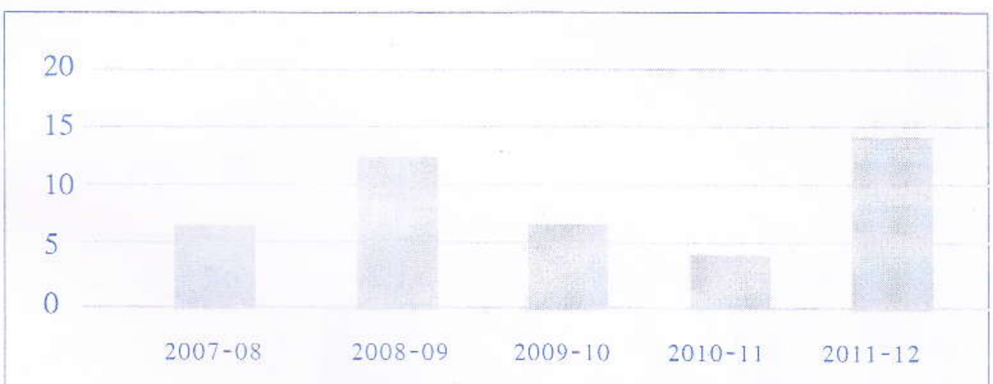

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठनोंपरांत आयोग की कार्यवाही का रेखाचित्र स्वरुप

A छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठनोंपरांत वर्षवार प्राप्त शिकायतों व निराकृत शिकायतों का रेखाचित्र।

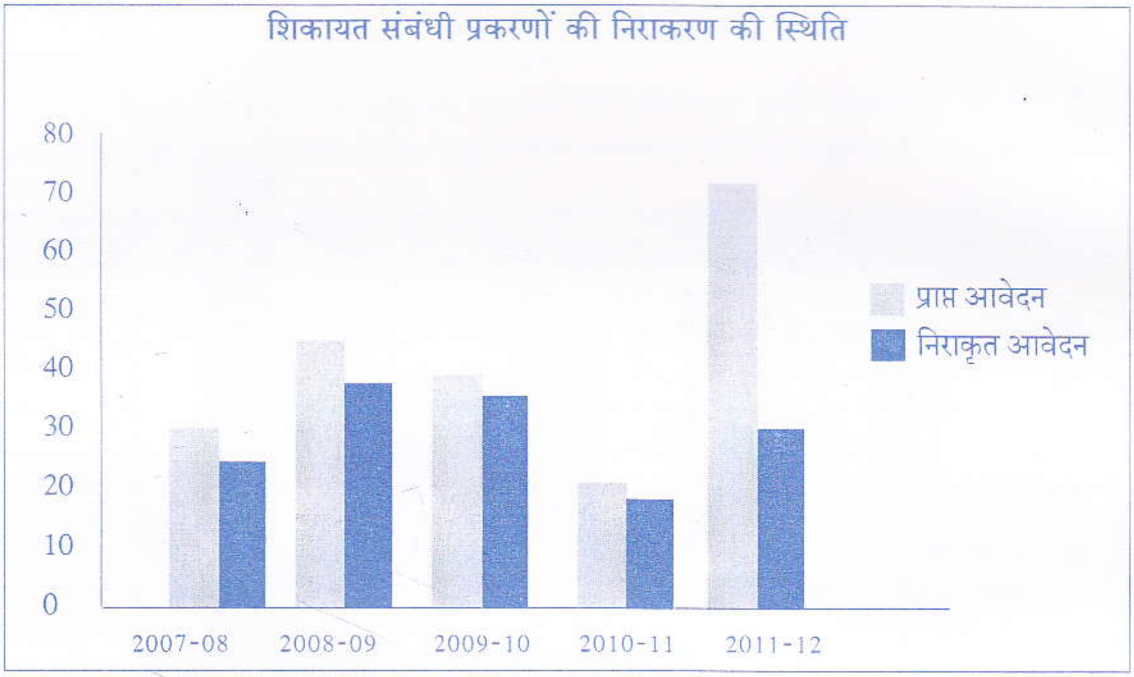

B छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठनोंपरांत वर्षवार प्राप्त जाति समावेशन/विलोपन संबंधी प्राप्त आवेदनों व निराकृत आवेदनों का रेखाचित्र।

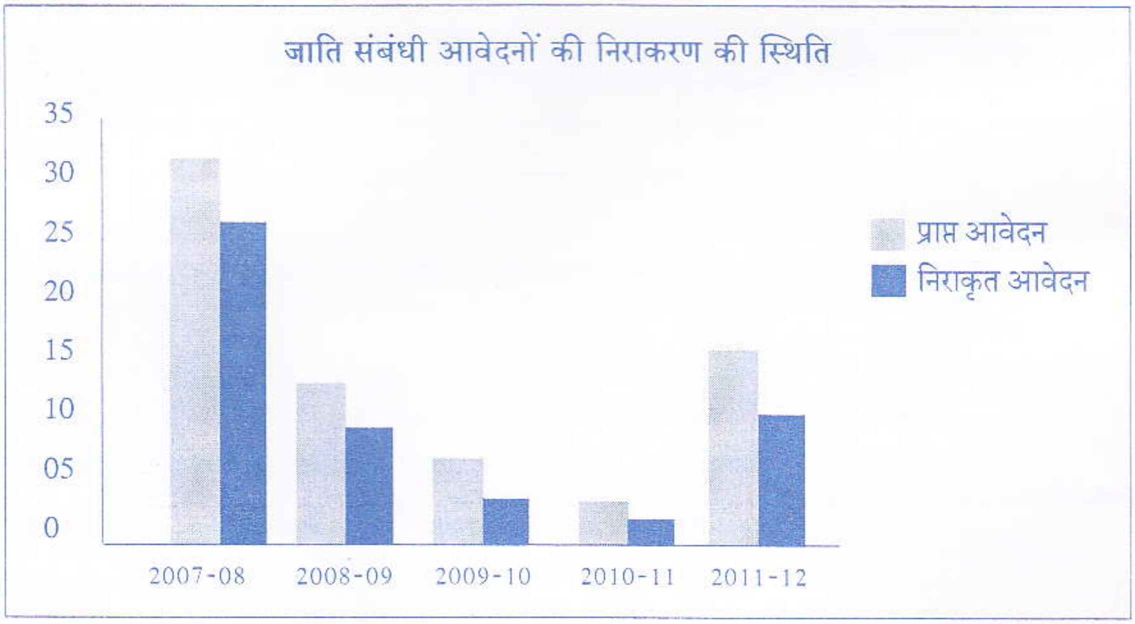

भाग–छ :

▲ अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित विभिन्न योजनायें

भाग-6

01. अन्य पिछड़ा वर्ग के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनायें :-

1. **राज्य छात्रवृत्ति :**

कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु निम्नांकित दरों पर राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

कक्षा	बालक	बालिका
कक्षा 6 वीं से 8 वीं	150/-	225/-
कक्षा 9 वीं से 10 वीं	225/-	300/-

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता न हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

2. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :**

पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 1 लाख रु. तक हो उन्हें छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क्र.	समूह कक्षा		गैर छात्रावासी		छात्रावासी	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका
01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	210 210	220 225
	बी.व्ही.एस.बी.एस.सी.कृषि	प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	185 185	195 200
02	डिप्लोमा कोर्सेस इंजीनियर मेडिकल कॉलेज टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
03	सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष	100 105	110 115	125 130	135 145
04	जनरल अपटू ग्रेजुयेट लेवल के बाद	प्रथम वर्ष, द्वितीय व तृतीय वर्ष	55 70	70 85	100 115	110 130
05	कक्षा 11 वीं, 12वीं	कक्षा 11 वीं 12 वीं	50 55	60 70	100 100	110 110

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक सहायता की योजनाएँ : स्वरोजगार मूलक वित्तीय सहायता योजना :

पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों के लिए ऋण सुविधायें :-

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदा प्रदान किया जाता है। गरीबी एवं दुगुनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को आटो रिक्शा, रेडीमेड दुकान, कार वर्क शॉप, आटो स्पेयर पार्ट्स आदि विभिन्न योजनाओं के लिए 80% ऋण दिया जाता है।

(स) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना -

1. **निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण :**

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्तर्व्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर पिछड़े वर्ग के युवक- युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2. **एअर होस्टेस एवं पालयट प्रशिक्षण :**

एअर होस्टेस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

3. **युवा कैरियर निर्माण योजना :**

अ.जा. एवं अ.ज.जा.वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :-

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :-

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रुप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना :-

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष जो कम से कम 7वीं (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों का चयन कर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा उनके कौशल एवं दक्षता में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवकोपार्जन उपलब्ध कराना है।

गोकुल नगर योजना :-

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रुप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना आरंभ की गई है।

राज्य प्रवर्तित नवीन योजनाएं :-

विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से नवीन योजनाएं जनवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :-

शहरों में निवासरत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओ/महिलाओ को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरुप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :-

वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रुप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रुप में विकसित किया जाए, जिसमें नीलामी चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रु. 100,00 लाख, नगर पालिका परिषद को रुपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रुपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना :-

11 फरवरी 2009 को पंडित दीनदयाल उपाध्यय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में किसानों के लिये दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की। जो 1 अप्रेल 2009 से लागू की जायेगी। इसके तहत किसानों को अब सिर्फ 4 रुपये 20 पैसे में एक लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेश कंपनी से 21 रु. प्रीमियम की वार्षिक किस्त पर राज्य शासन किसानो का दुर्घटना बीमा कराएगा जिसमें प्रीमियम की इस राशि में सिर्फ 4 रु. 20 पैसा का अंशदान किसानो के द्वारा दिया जायेगा। जबकि शेष 16 रु. 80 पैसे राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण :-

त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई है। विदित हो कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार :-

अक्टूबर 2009 से भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जहाँ बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के उत्पादन और उसके पैकेट तैयार करने का लघु और कुटीर उद्योग महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के विशेष अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला स्व-सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति के ब्रांड नामों से पौष्टिक आहार बनाने का काम सौपने का निर्णय लिया है। विदित हो कि प्रदेश में इस समय 34 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ :-

अगस्त 09 को एकमात्र स्थान बस्तर जिले के जगदलपुर परियोजना (विकासखण्ड जगदलपुर) में 'पायलट प्रोजेक्ट' के रुप में धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। योजना के सफल परिणाम आने पर इसे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

किसान कॉल सेन्टर :-

छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण करने हेतु राज्य शासन ने किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की है। इस कॉल सेन्टर पर किसानों को 1551 नं. पर फोन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्रामीण इंजीनियर योजना :-

छत्तीसगढ़ में मामूली पढ़े लिखे ग्रामीण नौजवान भी अब 'इंजीनियरो' की तरह भवन निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण जैसे कार्यों में स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना :-

हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए इस तरह की योजना प्रारम्भ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। इस योजना के तहत हृदय से सम्बन्धित सात प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाता है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक आयु समूह के बच्चों के हृदय का आपरेशन अनुबंधित निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। हृदय की शल्य क्रिया के साथ ही हृदय के वाल्व भी इस योजना के अन्तर्गत बदले जाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गरीबी रेखा का कोई बंधन नहीं रखा गया है कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है।

मछुआरा आवास योजना :-

इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जलाशयों पर मछली पकड़ने वाले और मछलीपालन करने वाले मछुआरों को आवास, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मछुआरा आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत कोरबा जिले के हसदेव बांगो, महासमुंद जिले के कोडार, बिलासपुर जिले के खुंटाघाट और खुड़िया जलाशयों के समीप मछुआरों के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामोत्थान योजना :-

छत्तीसगढ़ में पशुपालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों में स्थानीय चरवाहों को शामिल कर राज्य सरकार द्वाराउन्हें पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और देशी नाटों के बधियांकरण पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह योजना 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से राज्य के डेढ़ लाख से अधिक चरवाहे लाभान्वित होंगे।

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान :-

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार व प्रशिक्षण संस्थान अगस्त 2009 से प्रारम्भ किये गये है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2008 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी. एल.कार्ड धारकों को क्रमशः एक रूपये तथा 2 रूपये में 35 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था के तहत 30चावल के साथ-साथ उसी दर पर 5 किलो गेहूँ भी मिलेगा।

शाकम्भरी योजना :- सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषक विशेषकर सब्जी उत्पादक कृषकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत एवं डीजल पंप क्रय करने पर इकाई लागत रु. 15500 पर 75 प्रतिशत अनुदान एवं कुंआ निर्माण हेतु इकाई लागत रु. 34200 पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

भाग-सात

- आयोग की बैठकों का विवरण
- माननीय अध्यक्ष द्वारा 18 जिलों की समीक्षा बैठक एवं सार-पत्र मुद्रित
- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मान. सदस्यों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन

भाग-7

1. आयोग की बैठकों का विवरण

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्र. एफ-19-47/2011/25-2 रायपुर, दिनांक 23.11.2011 के द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों की नियुक्ति की गयी। मान. अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आयोग का प्रथम बैठक दिनांक 07.12.2011 को रखा गया जिसमें आयोग के अधिनियम के 1995 की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की कार्य विधि निर्धारित करते हुए विनिमय बनाया गया। जिसमें आयोग द्वारा सम्मेलनों की नियतकालिकता विचारणीय विषय, अविचारणीय विषय, (जिन पर आयोग कार्यवाही नहीं करेगा) कार्यवृत्त, अनुवर्ती कार्यवाही, वार्षिक प्रतिवेदन व प्रशासकीय व्यवस्था की प्रक्रिया विनिर्धारित की गयी। बैठक में आयोग के कृत्य एवं शक्तियों पर चर्चा तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में विहित कृत्यों तथा शक्तियों के समावेशन, विलोपन एवं संशोधन पर विचार-विमर्श उपरांत सुझाव दिया गया कि इस विषय पर आयोग के सचिव द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त कर यथोचित प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जावे जिसके गुण-दोष पर विचार कर अधिनियम संशोधन का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जा सकेगा। बैठक में पिछड़े वर्ग के हितार्थ संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के परीक्षण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिया जाना निर्धारित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विभिन्न स्तर पर किये जाने हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ करने का प्रयास विभाग को प्रेषित किया जाना निर्धारित किया गया। प्रत्येक जिलों में 50 सीटर प्री मैट्रिक एवं 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास प्रारंभ करने का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया जाना निर्धारित किया गया। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु विहित प्रक्रिया के सरलीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया गया।

आयोग की द्वितीय बैठक दिनांक 04.02.2012 को रखी गयी। आयोग की द्वितीय बैठक में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा आयोग के दायित्व निर्वहन की सुगमता व सरलता से निपटाने हेतु आयोग के प्रत्येक सदस्य को समस्या/शिकायत की सुनवाई हेतु तीन जिलों का प्रभार आबंटित किया गया। छत्तीसगढ़ में निवासरत जातियां यथा यादव, ग्वाला एवं राऊत जाति के प्रमाण पत्र बनवाने एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आने वाली समस्या के निवारण हेतु यादव, ग्वाला एवं राऊत जाति को छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची के क्र. 01 में जोड़ने बाबत् अनुशंसा शासन को प्रेषित किये जाने सहमति हुई।

आयोग की बैठक दिनांक 29.03.12 में आयोग के मान. अध्यक्ष/ सदस्यगण, सचिव तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा नवीन जातियां शामिल किये जाने यथा रौनियार, बया, खर्रा, मलार, भोरतिया/भोरथिया, मैथिल क्षत्रिय एवं थनापति जाति के अनुसंधान प्रतिवेदन आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये जिसमें से रौनियार, बया, खर्रा, भोरतिया जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में उनके समक्ष दर्शित अनुक्रमांक पर स्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी। मान. सदस्यों द्वारा आयोग में नियुक्ति दिनांक 23.11.2011 से दिनांक 31.03.2012 तक चार माह की अवधि का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ राज्य में किये गये कार्यो के विवरण (प्रतिवेदन) से मान. अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। आयोग द्वारा केवट जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में आने वाली समस्या पर भी विचार किया गया एवं केंवट जाति में अनुस्वार (ँ) की त्रुटि के कारण समस्या पर चर्चा की गयी तथा यह अनुशंसा की गयी कि केवट में (ँ) अनुस्वार लागकर केंवट जाति को अनुक्रमांक 12 में केवट के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में स्थापित किया जावे। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को देखते

हुए उन्हें लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा अ.पि. व. हेतु भी 27% आरक्षण लागू किये जाने के सुझाव को प्रेषित किये जाने सचिव को निर्देशित किया गया। शासकीय सेवाओं में अनु. जाति एवं जनजाति की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग को भी पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू किये जाने संबंधी सुझाव प्रेषण बाबत् सहमति हुई। बैठक में मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा वन भूमि का पट्टा दिये जाने हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड में 75 वर्ष को संशोधित कर 50 वर्ष किये जाने बाबत सुझाव दिया गया एवं इस योजना का लाभ सुदुर अंचलों में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति/समुदाय को भी दिये जाने बाबत् सुझाव शासन को प्रेषण किये जाने निर्देशित किया गया। बैठक में चारागाह एवं चरवाई भूमि समाप्त होने पर चिंता व्यक्त करते हुए मान. अध्यक्ष/सदस्यगणों ने चारागाह एवं चरवाई भूमि संरक्षित किये जाने हेतु सुविधाजनक नियम बनाने एवं गोठान पर से अतिक्रमण समाप्त किये जाने की कार्यवाही का सुझाव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को पत्र प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया।

2. माननीय अध्यक्ष द्वारा 18 जिलों की समीक्षा बैठक एवं सार-पत्र मुद्रित

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु विभिन्न जिलों में कलेक्टर की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गयी। प्रथम चरण में क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, राजनांदगाँव, दुर्ग, महासमुन्द, धमतरी व कोरबा जिले की समीक्षा गई समीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों के संबंध में विभागों में संचालित योजनाएं व कार्यों के सफल निष्पादन हेतु अग्रप्रकार निर्देश व कार्य की उत्कृष्टता हेतु दिये गये।

1. राजस्व विभाग-

(1) राजस्व विभाग में बंटवारा के प्रकरण के निपटारे संबंधी मामलो को अविलंब निपटाने का निर्देश दिया गया एवं साथ ही किसान किताब (ऋण पुस्तिक) का वितरण (जो कि सामान्य वर्ग को सशुल्क नियत है) में अनियमितता दूर किये जाने प्रयास किये जाने निर्देशित किया गया।

(2) छत्तीसगढ़ के ग्रामों में प्रायः चरवाई भूमि का अतिक्रमण होने के कारण गाँव में मवेशियों के चारा प्रदाय करने सम्बन्धित कार्य में संलग्न यादव समाज असहाय महसूस कर रहा है जिससे उनके परम्परागत जीवन-यावन में भी प्रभाव पड़ रहा है। अथवा इस दिशा में छ.ग. के ग्रामों में चरवाई भूमि पर अतिक्रमण के कारण मवेशियों के चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है। विभाग को इस संबंध में निर्देशित किया गया।

2. पुलिस विभाग -

(1) पुलिस विभाग में दर्ज प्रकरणों को अविलंब में निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। प्रकरणों में तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने लापरवाही के विरूद्ध कार्यवाही हेतु विभाग को निर्देशित करते हुए है साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सहानुभूतिपूर्वक एवं नम्र व्यवहार किये जाने निर्देशित किया गया।

3. वन विभाग -

(1) वन विभाग में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को पट्टे दिये जाने के साथ ही जनजाति गैर आदिवासी वर्ग (अन्य परम्परागत वन निवासी) को पट्टे वितरण किये जाने निर्देशित किया गया।

4. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग -

(1) इस विभाग में सबसे बड़ी कठिनाई जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में आ रही है। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु खोले गये संभागीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का रूचि लेकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

जाति प्रमाण पत्र सत्यापन में पदस्थ अमलों को आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश किये गये। लंबित प्रकरणों में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया गया।

राजस्व विभाग

1. निर्देश दिये गये कि किसान किताब (ऋण पुस्तिका) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भांति सामान्य वर्ग के ऐसे लघु कृषक जिनकी जोत 5 एकड़ तक की है, को भी निःशुल्क प्रदाय किया जाना उचित होगा।
2. गाँवों में चरवाई भूमि का अतिक्रमण हटवाकर चरवाई हेतु भूमि सुरक्षित किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये।

वन विभाग

विशेष कर वन क्षेत्रों में वनवासी के रुप में पिछड़ा वर्ग के निवासरत ग्वाला, अहिर, यादव, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई आदि जातियां जो विगत कई वर्षों से निवासरत है उन्हें भी पट्टे वितरण की कार्यवाही किये जाने निर्देश दिये गये।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की लगभग आधी आबादी होने के उपरांत भी राज्य में मात्र 5 मैट्रीकोत्तर छात्रावास संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य के (अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर) शेष जिलों में प्री मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास बालक/बालिका हेतु खोले जाने निर्देश दिया गया।

3. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मान. सदस्यों के कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन

मेरी कलम से....

दिनांक 23.11.2012 को कार्यालय आदिम जाति अनुसूचित जनजाति दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-19-47/2011/25-2 के तहत मुझे छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर में सदस्य नियुक्त किया शासन द्वारा सौंपी गयी जिम्मेदारी के निर्वहन की ओर चलते हुए मेरे द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए उनके निवारण का कार्य प्रारंभ किया गया पिछड़ा वर्ग4 के सामाजिक सम्मेलन में भाग लेकर पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से भेटकर उनके समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया। दिनांक 05.12.2011 को रेगाडबरी में जनसमस्या शिविर लगा कर पिछड़े वर्ग के उद्देश्यों के बारे जानकारी दी गई आयोग को प्राप्त महत्वपूर्ण शिकायतों के संबंध में मेरे द्वारा जमीनी स्तर से जुड़कर कार्यवाही करते हुए प्रथम शिकायत ग्राम करहीभदर जिला-बालोद से आवेदक श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत दर्ज करायी गई जिसमें आवेदक से बारहवी परीक्षा उत्तीर्ण कराने के नाम पर 5000/- (पांच हजार) की ठगी की गई है जिसे आयोग ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए आवेदक के आवेदन पर विचार करते अनावेदक श्री वी.के. भण्डारी शिक्षक शा.उ.मा. शाला डौण्डी लोहारा के विरूद्ध कार्यवाही की गई इस कार्यवाही से अनावेदक के हौसले टूट गया और दिनांक 20.02.2012 को अनावेदक द्वारा उक्त राशि आवेदक को वापस लौटाई गई। प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि से मेरे हौसले बुलंद हुए इसके उपरोक्त मैने अपने कर्तव्य निर्वहन के दिशा में प्रयासों पर और गति दे दी जहां अगला शिकायत ग्राम भरदा तहसील डौंडीलोहारा, जिला-बालोद के आवेदक श्री धनाजी राम द्वारा अनावेदक श्री अजोंर सिंह एवं अन्य 13 के विरूद्ध ग्राम से बहिष्कृत किये जाने एवं प्रताड़ित करने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसे आयोग ने संज्ञान में लेते हुए दिनांक 10.04.2012 को ग्राम भरदा में जनसुनवाई चौपाल लगाकर उक्त प्रकरण में आवेदक तथा अनावेदक द्वारा आपसी सुलाह कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।

आयोग के सयुक्त प्रयास में मेरा योगदान सत रहा इसी कड़ी में बिलासपुर से यादव समाज द्वारा आयोग को शिकायत प्राप्त हुआ। जिससे रेल्वे डी.आर.एम. बिलासपुर द्वारा यादव समाज में विभिन्न मांगों पर कोई विचार नहीं करने के कारण आयोग के हस्तक्षेप से यादव समाज को शेड निर्माण एवं अन्य मागों पर रेल्वे डी.आर.एम. बिलासपुर ने स्वीकृति दी।

आयोग के प्रमुख कार्य जाति शामिल करने मेरे द्वारा आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए मैने रौनिवार, सारथी, खर्रा तथा अनेकों पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु आवेदको के आवेदन पर विचार करते हुए जिलेवार विभिन्न ग्रामों के साथ रायगढ़, जशपुर, कांकेर, बालोद, बलौदाबाजार एवं छत्तीसगढ़ के अनेकों जिलों का भ्रमण किया। आवेदनों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं सांख्यिकी आँकड़े एकत्रित कर परीक्षण किया तदउपरांत जातियों को शामिल किये जाने संबंधी अभिमत आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया इस प्रयास से अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को सूची में शामिल कर विभाग प्रमुख को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिसमें रौनिवार, सारथी, खर्रा प्रमुख रुप से है।

शासन द्वारा सौपे गये दायित्व को अपनी पर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हुए आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रभावी कड़ी के रुप में प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास करूंगा।

देवेन्द्र जायसवाल
सदस्य रा.पि.व.आ.

मेरी कलम से......

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर में दिनांक 23.11.11 को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जिसके परिपालन में दिनांक 24.11.2011 को आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया तत्पश्चात मैं पिछड़ा वर्ग आयोग के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुचाने का बीड़ा उठाने की शुरुवात की छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गो के उत्थान हित संरक्षण एवं हित संवर्धन हेतु मैने राज्य के विभिन्न जिलो का सघन दौरा किया आयोग की बैठक में मुझे धमतरी, गरियाबंद एवं दंतेवाड़ा जिलो का कार्यभार सौंपा गया।

रायपुर जिले के अंतर्गत अभनपुर ब्लाक में दिनांक 02.01.2012 को पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में अध्यक्षता की गई एवं मितानिन प्रशिक्षकों को सायकल वितरित किये गये और उनके उज्जवल भविष्य के लिये दिशा निर्देश दिये गये। दिनांक 11.01.2012 को बिलासपुर जिले में आयोजित पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में शामिल होकर पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याओं को सुना एवं मार्गदर्शन दिया गया। तत्पश्चात जिले में स्थित रेलवे प्लेट फार्म पर अतिरिक्त सेड लगाने की मांग की गई। सेंट्रल जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जेल में महिला सेल की कैदियों की समस्याये सुनी एवं उसके निराकरण का आश्वासन दिया गया, उनकी समस्यायें थी कि सेल में महिला बैरक की कमी है अतः बैरक के निर्माण में बढ़ोत्तरी की जाये एवं बहुत से कैदियों को सजा भुगतते हुये 10 वर्ष से अधिक हो गये है उन्हे रिहा किया जावे। महासमुन्द जिले के बागबाहरा ब्लाक के ग्राम-देवरी में दिनांक 28.01.2012 को निर्धन कन्या विवाह कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रुप में शामिल होकर वर वधु को आशीर्वाद प्रदान कर खुशहाल जीवन जिने का मार्ग बताये तथा पिछड़ा वर्ग के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ लेने का आव्हान किया गया। एवं शराब उन्मूलन के लिये प्रयासरत रही।

राजनांदगाँव जिले के खैरागढ़ ब्लाक में दिनांक 30.01.2012 को बया समाज के प्रमुखो से भेंटकर चर्चा की गई। खैरागढ़ स्थित छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण कर प्री-मैट्रिक छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के बच्चों से मुलाकात कर उनकी समस्यायें सुनी एवं उसके निराकरण के लिये आश्वासन दिये गये। तत्पश्चात राजनांदगाँव जिले में मैथिल क्षत्रिय समाज के लोगों से भेंट एवं चर्चा कर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त किये गये। राजनांदगाँव में स्थित उच्च विश्राम गृह में प्रेसवार्ता में पत्रकारों से चर्चा किया जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठन के उद्देश्यों के बारे में बताया गया। गुमला झारखंड के उपमुख्यमंत्री मान. सुदेश महतो मुख्य अतिथि की उपस्थिति में विशेष अतिथि के रुप में शामिल होकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग झारखण्ड से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये जानकारी प्राप्त की एवं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल होने हेतु आवेदन प्राप्त किया गया। गरियाबंद जिले के पाण्डुका ब्लाक के सिरकट्टी आश्रम में दिनांक 3.03.2012 को भोरतिया समाज के द्वारा कार्यक्रम में शामिल होकर भोरतिया जाति के प्रमुखों से भेंट एवं चर्चाकर उनसे पिछड़ा वर्ग में शामिल होने हेतु आवेदन प्राप्त किये गये। मध्यप्रदेश राज्य के दतिया जिले में दिनांक 19.03.2012 को पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में शामिल होकर अधिकारियो से भेंट कर चर्चा की गई एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये जानकारी प्राप्त किये गये।

अतः मैं यह कहना चाहूँगी कि छ.ग. राज्य में पिछड़ा वर्ग के लोगों की दिशा एवं दशा बदलने के लिये आयोग के अध्यक्ष सदस्यगण एवं समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्तर से प्रयासरत है, मान. मुख्यमंत्री ने पिछड़ो के कल्याण की मंशा से आयोग का गठन किया है। यह स्वप्न जल्द ही साकार होगा इसके लिए जनसहयोग की अति आवश्यकता है।

Mamta Sahu

ममता साहू
सदस्य रा.पि.व.आ.

मेरी कलम से......

राज्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य का दायित्व लेते हुए, मैने संकल्प लिया है कि, राज्य के अन्य पिछड़े वर्गो के हितार्थ अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा समर्पित करूंगा। विगत 4 माह में मेरे द्वारा राज्य में अन्य पिछड़ें वर्गों करे हितार्थ आयोग के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया गया।

आयोग कार्यालय में प्राप्त पिछड़े वर्गों की शिकायतों एवं जाति शामिल कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग एवं मुंगेली, बिलासपुर एवं बलौदाबाजार आदि विभिन्न जिलो के ग्रामीण अँचलों का दौरा किया एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष में भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

राज्य में पिछड़ें वर्गों के हितार्थ संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की मैदानी स्तर पर किये जा रहे क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु कवर्धा जिले की समीक्षा हेतु मान. अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं कमियों के लिये प्रत्यक्ष रुप से निर्देशित करते हुए व्यवस्था सुधारने सुझाव दिया गया।

कुछ विषयों को लेकर राज्य के मान. मुख्यमंत्री महोदय एवं विभागीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी से मिलकर उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया एवं उनके मार्गदर्शन व निर्देश से तत्काल उन समस्याओं का समाधान भी हुआ।

चार माह के इस अल्प कार्यकाल में पिछड़े वर्गों के हितार्थ किये गये कार्यों में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ जी मान. सदस्य सर्वश्री देवेन्द्र जायसवाल, शिव चन्द्राकर, छतरसिंह नायक, मुनेश्वर सिंह केसर एवं बहन ममता साहू का एवं आयोग के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आशा है कि भविष्य में भी हम अपने उद्देश्यों में सफल सिद्ध होंगे ....

आप सबका

प्रहलाद रजक
सदस्य रा.पि.व.आ.

मेरी कलम से......

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर में दिनांक 23.11.11 को सदस्य के रुप में नियुक्त किया जिसके परिपालन में दिनांक 24.11.2011 को आयोग कार्यालय में पदभार ग्रहण किया तत्पश्चात पिछड़ा वर्ग आयोग के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुचाने का बीड़ा उठाने की शुरुवात की छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गो के उत्थान हित संरक्षण एवं हित संवर्धन हेतु मान. अध्यध डॉ. सोमनाथ यादव जी की चाहत से एवं मान. अध्यध जी ने कार्य की सुगमता के लिए आयोग के सभी सदस्यों को तीन-तीन जिले का प्रभारी नियुक्त किया गै जिसमें मुझे रायगढ़, जशपुर और सरगुजा (बलरामपुर, सूरजपुर) का प्रभार मिला है।

स्वतंत्र प्रभार मिलते ही मा. अध्यक्ष जी के अनुमति एवं मान. सचिव के परामर्श पर रायगढ़, जशपुर तथा अखण्ड सरगुजा जिले का लगभग सभी विकासखण्डों का दौरा किया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का जीवन स्तर तथा शासन से प्राप्त सुविधाओं आदि की गहन अध्ययन किया। सघन प्रवास के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के कई समस्याओं का समाधान भी किया अन्य पिछड़ा वर्ग समाज काफी परेशानियों का सामना कर रही है मान. अध्यक्ष जी के राय पर रायगढ़, सरगुजा एवं जशपुर जिले सघन दौरा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के समस्यों से रूबरू हुए।

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य के लिए मैंने रायगढ़ में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधियों से जन सम्पर्क किया एवं कुडूमकेला में खर्रा जाति महासभा में उपस्थित होकर खर्रा जाति की जाति इतिहास एवं संपूर्ण जीवन शैली, खान-पान सभ्यता का अवलोकन एवं अनुसंधान किया। पत्थलगांव, कांसाबेल तथा बरांगजोर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में अपना उपस्थिति दर्ज कराई तथा पिछड़ा वर्ग के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाया। कुनकुरी में पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ पिछड़े वर्ग के हित चिन्तन के लिए विशेष बातचीत की एवं पण्डरीपानी में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सभा का संचालन किया तथा ग्राम पंचायत अंकिरा में पिछड़े वर्ग लाभ से पिछड़े हुए थुरिया जाति के बारे में अनुसंधान कार्य किया तथा जोरंडा झरीया में अन्य पिछड़ा वर्ग के विशाल सभा का मुख्य आतिथ्य किया एवं छ.ग. शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी।

दुलदुला विकासखंड के जामपानी में रौतिया समाज के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल रहा। तथा पिछड़े वर्ग के समाज का जिला स्तरीय बैठक कुनकुरी में लिया विकासखण्ड मनोरा के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया, बेलडीह में पिछड़े वर्ग के लोगों के विशाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दायित्व निर्वाह किया तथा राझाडीपा में रौतिया समाज के व्यक्तियों के साथ बैठक में शामिल रहा। जशपुर बगीचा के विकासखण्ड में सघन दौरा एवं बगीचा विश्राम गृह में भेंट वार्ता किया तथा खुडीया कोरवा राजा प्रदीप जी दिवान के साथ सन्ना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का जनसंपर्क किया तथा सुकराडोभ में पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में शामिल रहा नन्हेश्वर में भव्य पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व किया तथा एक अम्बा में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के साथ जन संपर्क किया तथा अपरान्त बेला में बेने ग्राम में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ शामिल रहा विकासखण्ड कुनकुरी के कंलिबा, कोरवाबहरी में भ्रमण किया तथा जशपुर जिले के अंतर्गत किये गये अनुसंधान कार्यक्रम के दौरान प्राप्त समस्याओं का संकलन किया गया तथा विकासखण्ड कुनकुरी के मंगल भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम किया।

छ.ग. पिछड़ा वर्ग आयोग से मान. सदस्य देवेन्द्र जायसवाल तथा मान. सदस्य प्रहलाद रजक जी उपस्थित रहे तथा इस जनसुनवाई में रौनियार, धुरिया, मलार, गोसाई, महकूल, महाकुल, महकूर जाति की समस्याएं सुनी गई तथा पिछड़े वर्ग में शामिल हेतु अनुशंसा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जशपुर जिले में निवासरत पिछड़े वर्ग के सभी समाज प्रमुखों को साल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया।

आयोग के मान. अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य प्रगति पर है तथा मैं चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो उद्देश्य है उसमें हमेशा तत्पर रहूंगा।

मुनेश्वर सिंह केसर
सदस्य रा.पि.व.आ.

मेरी कलम से......

दिनांक 26.11.2011 को पदभार ग्रहण करते हुए मैने कार्य पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ निर्वहन करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्य में अन्य पिछड़ें वर्गों की सेवा में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आयोग के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुँचाने का बेड़ा उठाया। मैंने कार्यालय में प्राप्त पिछड़े वर्गों की शिकायतों एवं जाति शामिल कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रो के निराकरण के लिए विभिन्न जिलो के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण प्रारंभ किया। मेरे द्वारा दुर्ग, धमधा एवं बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सघन दौरा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के समक्ष में भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया। दुर्ग जिले का सघन दौरा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के पिंजारा (हिन्दु) जाति के आवेदन पत्र का ग्रामीण/क्षेत्रीय अनुसंधान कर जन सुनवाई की एवं उन्हें अ.पि.व. की सूची में जाति शामिल करने संबंधी आवेदन पर कार्यवाही हेतु अन्य जिलों बालोद, मुंगेली, राजनांदगाँव एवं कोरबा आदि का भी दौरा किया।

राज्य में पिछड़ें वर्गों के हितार्थ संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की मैदानी स्तर पर किये जा रहे क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु दुर्ग जिले की समीक्षा हेतु मान. अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं कमियों के लिये प्रत्यक्ष रुप से निर्देशित करते हुए व्यवस्था सुधारने सुझाव दिया गया। मान. अध्यक्ष महोदय की सक्रियता से राज्य के विभिन्न जिलों की समीक्षा किया गया। बिलासपुर में यादव समाज को रेल्वे द्वारा प्रताड़ित किये जाने संबंधी शिकायत को आयोग के सदस्यों के साथ संयुक्त रुप से संज्ञान में लेकर शेड निर्माण कराया गया। जो आयोग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। छ.ग. राज्य आयोग के प्रक्रिया एवं कार्यों में सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से म.प्र. राज्य के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित कार्यक्रम की जानकारी हेतु म.प्र. आयोग से भेंट की गयी। केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित योजनाओं के जानकारी व आयोग के क्रियान्वयन संबंधी नई दिल्ली में केन्द्रीय बिछड़ा वर्ग आयोग कार्यविधि की जानकारी हेतु उत्तराखंड राज्य के आयोग से मुलाकात की जिससे अन्य पिछड़े वर्गों की अन्य राज्यों में स्थिति एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। कुछ विषयों को लेकर मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री से भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया एवं काफी हद तक समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त हुआ।

मैं छ.ग. राज्य में मुख्यमंत्री मान. डॉ. रमन सिंह जी के प्रगतिशील विचारधारा हेतु विभागीय मंत्री मान. श्री केदार कश्यप जी के मार्गदर्शन में आयोग के मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव की रणनीति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कृत संकल्पित होकर प्रदेश में अनय पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य करने के जज्बे के साथ कार्यक्षेत्र में अपना कार्य निष्पादन करुंगा। इस अभियान के लिए प्रदेश के कस्बे-कस्बे का भ्रमण कर प्रत्येक अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति तक आयोग के उद्देश्यों को पहुचाना एवं उनकी समस्या का निराकरण करते हुए शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कर आयोग के उद्देश्य को सफल बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा।

दिनांक 23.11.11 से 31.03.2012 तक 4 माह के छोटे से अंतराल में पिछड़े वर्गों के हितार्थ किये गये कार्यों के परिणाम से मुझे भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के हित प्रहरी बनकर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। मुझे इस बात का हर्ष है कि छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने उल्लेखनीय कार्यों के माध्यम से अपनी अमिट छाप बना रहा है यह गौरव का विषय है आयोग अपना पंचम वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

हार्दिक बधाई....!

शिव चन्द्राकर
सदस्य रा.पि.व.आ.

मेरी कलम से......

राज्य के लोक प्रिय मुखिया मान. डॉ. रमन सिंह जी के निर्देशाउपरांत छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के रुप में दिनांक नवम्बर 2011 को पदभार ग्रहण किया एवं पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करने की शपथ ली। आयोग के उद्देश्यों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को अन्य पिछड़ें वर्गों के मध्य तक पहुँचाने हेतु मैं प्रणबद्ध हूँ।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय में प्राप्त पिछड़े वर्गों की शिकायतों एवं जाति शामिल कराने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रो के निराकरण के लिए महासमुन्द, रायगढ़, गरियाबंद आदि जिलो के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं मेरे द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोगों से विस्तृत चर्चा हुई मैने उनकी समस्याओं को सुना एवं निराकरण हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया तथा आयोग के अध्यक्ष जी एवं अपने अन्य साथियों के सहयोग से समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने हेतु प्रयासरत रहा।

राज्य में पिछड़ें वर्गों के हितार्थ संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं की मैदानी स्तर पर किये जा रहे क्रियान्वयन की मानीटरिंग हेतु महासमुन्द एवं रायगढ़ जिले की समीक्षा हेतु मान. अध्यक्ष महोदय के साथ में जिला स्तरीय अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं कमियों के लिये प्रत्यक्ष रुप से निर्देशित करते हुए व्यवस्था सुधारने सुझाव दिया गया।

छ.ग. राज्य आयोग के प्रक्रिया एवं कार्यों में सुदृढ़ता लाने के उद्देश्य से आगामी समय में अनेक कार्यक्रमों की भूमिका बनी है जिसमें 'जुड़ाव' कार्यक्रम महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मंच से राज्य की पिछड़े वर्ग की विविध जातियों के समाज प्रमुखों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा होगी एवं उनके समाज में परिव्याप्त समस्याओं के निदान हेतु राज्य स्तर पर एकजुट होकर प्रयास किया जावेगा।

आयोग के सदस्य के रुप में कार्य करते हुए मुझे आयोग के अन्य साथियों द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। मैं विशेष रुप से आयोग के ऊर्जावान अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं भाई प्रहलाद रजक, देवेन्द्र जायसवाल, शिव चन्द्राकर, मुनेश्वर सिंह केसर एवं सुश्री ममता साहू को सादर साधुवाद देता हूँ कि, उन्होने पग-पग पर मेरा आत्मिक साथ दिया एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हितार्थ कार्यों में सहभागी बने।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव श्री एल.आर. कुर्रे का भी मैं विशेष रुप से आभारी हूँ कि उनकी सक्रियता से अनेक मसले समाधानिक हुए। आयोग की अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता डेकाटे एवं आयोग श्री उत्तरा कुमार पटेल, श्री झामन निर्मलकर एवं आयोग अन्य कर्मचारियों का मुझे भरपुर सहयोग प्राप्त हुआ जिसके लिए मैं हृदय धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे इसी सहयोग की अपेक्षा रखूँगा ताकि हम सब मिलकर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के सार्थक उत्थान हेतु कार्य कर सकें।

सादर सहित....

आपका ही

छतर सिंह नायक

सदस्य रा.पि.व.आ.

आयोग को प्रेषित एक पत्र

सेवा में,

माननीय डॉ. सोमनाथ यादव जी,
अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर (छ.ग.)

विषय : मेरी समस्या समाधान करने के लिये धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु।

संदर्भ : मेरा आवेदन, दिनांक 24.02.12

महोदय,

मैं सुनार जाति का 68 वर्षीय एक शिल्पकार हूँ, तथा अपने हस्त कौशल से स्मृति चिन्हों का निर्माण करता हूँ। दिनांक 24.02.12 को आपके रायगढ़ दौरे के समय मैंने आवेदन दिया था कि रायगढ़ निवासी श्री कमल शर्मा (फोटोग्राफर) ने मुझसे 163 नग स्मृति चिन्ह निर्माण करवाये थे और उनकी कुल कीमत 45800 रु. में से 25000 रु. देने के बाद मेरी बकाया रकम 20800 देने में आनाकानी कर रहे थे। दिनांक 11 जुलाई 12 से अभी तक करीब 7-8 महिने से मुझे मेरी बकाया राशि नहीं मिली है।

मेरे आवेदन पर आपके द्वारा तत्काल कार्यवाही के फलस्वरुप श्री कमल शर्मा दिनांक 10.04.12 को मेरे घर आऐ, एवं मेरी बकाया रकम का भुगतान किया।

अपने इस पत्र द्वारा मैं छत्तीसगढ़ शासन का आभार मानता हूँ कि मुझ जैसे पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता के लिये आयोग का गठन किया।

विशेष तौर पर मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होने आप जैसे निर्भीक एवं कर्मठ व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया।

मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह आपने मेरी समस्या का समाधान किया, वैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों की सदैव सहायता करते रहेंगे।

अंत में, मैं पुनः आपको तथा आयोग के सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

दिनांक : 11 अप्रैल 12

आपका विनम्र

(रमाकांत सोनी)
भानुप्रताप कालोनी, रायगढ़ (छ.ग.)

भाग-आठ

- आयोग की गतिविधियों के मुख्य छायाचित्र
- अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ

आयोग की गतिविधियों के मुख्य छायाचित्र

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते समय नव-नियुक्त अध्यक्ष मान. डॉ. सोमनाथ यादव

मान. मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देते हुए आयोग के मान. अध्यक्ष व सदस्यगण

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के अवसर का छायाचित्र

मान. मंत्री श्री केदार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह भेट करते हुए मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

मान. मंत्री श्री केदार कश्यप जी, अध्यक्ष जी के कार्यालय में आयोग के पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त छायाचित्र में

आयोग की योजना पत्रिका का विमोचन करते मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन एवं उनके साथ बायें से मान. प्रहलाद रजक, मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं मान. देवेन्द्र जायसवाल

मान. मुख्यमंत्री से अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित विषय पर चर्चा करते हुए मान. अध्यक्ष व सदस्यगण

पद्मश्री श्रीमती फूलवासन यादव का सम्मान करते हुए अध्यक्ष मान. डॉ. सोमनाथ यादव एवं सदस्य मा. देवेन्द्र जायसवाल

मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेस की एक कार्यशाला में

रजवाड़े व यादव समाज द्वारा सम्मान समारोह में उपस्थित मान. भइया लाल रजवाड़े एवं आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्या मान. ममता साहू
बिलासपुर सेन्ट्रल जेल निरीक्षण के समय बंदी महिला कैदियों की समस्या सुनते हुए

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करते
अध्यक्ष मा. डॉ. सोमनाथ यादव

दिल्ली राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह
भेंट करते अध्यक्ष मा. डॉ. सोमनाथ यादव

गणतंत्र दिवस के अवसर पर मा. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव आयोग के विभागीय कर्मचारियों के साथ- झंडा रोहण करते हुए

दुर्ग जिला की समीक्षा बैठक में बाये से कलेक्टर श्रीमती रीना कंगाले, श्री देवेन्द्र जायसवाल, श्री सोमनाथ यादव एवं श्री शिव चन्द्राकर

श्रीवास समाज के सामाजिक कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मा. डॉ. सोमनाथ यादव जी

दुर्ग जिला के पत्रकार साथियों के साथ सदस्य श्री शिव चन्द्राकर मध्य में अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं सदस्य श्री देवेन्द्र जायसवाल

मान. मुख्यमंत्री जी से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आयोग के मान. अध्यक्ष व सदस्यगण

जिला अंबिकापुर स्काउट/गाइड से चर्चा करते आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

क्षेत्रीय यादव सम्मेलन में उपस्थित मान. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी व आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

"कावरियों" का उत्साहवर्द्धन करते हुये आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

जिला जांजगीर की समीक्षा बैठक में उपस्थित मान. अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव एवं जिले के कलेक्टर श्री बृजेश मिश्र

जिला कबीरधाम में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा करते आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव व सदस्य प्रहलाद रजक

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष मान. धरम लाल कौशिक जी के साथ एक कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मान. डॉ. सोमनाथ यादव

जगदलपुर में आयोजित मुस्लिम मनियारों के सम्मेलन में मंत्री श्री केदार कश्यप, अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव जी एवं नगर निगम के अध्यक्ष श्री किरण देव

आयोग पहल पर दुग्ध व्यवसायियों हेतु रेल्वे मंडल बिलासपुर द्वारा शेड निर्माण का लोकार्पण

जिला अंबिकापुर समीक्षा बैठक में बायें से मा. सदस्य केशर जी कलेक्टर आर. प्रसन्ना व आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

जिला रायगढ़ की समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव व जिले के विभागीय अधिकारियों समीक्षा करते हुये

जिला राजनांदगाँव की समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष सदस्य व अनुसंधान अधिकारी, विभागीय अधिकारियों से समीक्षा करते हुए

जिला अंबिकापुर समीक्षा बैठक में बायें से मा. सदस्य केशर जी कलेक्टर आर. प्रसन्ना व आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

जिला रायगढ़ की समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष सदस्य सचिव व जिले के विभागीय अधिकारियों समीक्षा करते हुये

जिला राजनांदगाँव की समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष सदस्य व अनुसंधान अधिकारी, विभागीय अधिकारियों से समीक्षा करते हुए

छत्तीसगढ़ कलार समाज का गुरुर जिला- बालोद में आयोजित सामाजिक सम्मेलन जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष मान. डॉ. सोमनाथ यादव जी समाज के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए

श्रीवास समाज के सम्मान समारोह में आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

झेरिया यादव समाज के एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव

अखबार की सुर्खियों में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारियों की गतिविधियाँ

चार साल तक भटका, अब मिलेगी डिग्री

आयोग की बैठक में कई अहम फैसले

रायपुर

raipur@patrika.com

कृषि महाविद्यालय रायगढ़ का एक छात्र चार सालों से अपनी डिग्री के लिए भटक रहा था। कहीं कोई सुनवाई नहीं होने के बाद थक-हारकर उसने राज्य पिछड़ा आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अधिकारी-कर्मचारियों के ...

विषय पास करने के बाद ही अंतिम सेमेस्टर में प्रवेश दिया गया। इससे जाहिर है कि कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण छात्र को डिग्री न देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही रोजगार के कई अवसरों से वंचित रह गया। आयोग ने इस कृत्य को पिछड़ा वर्ग के छात्र के भविष्य से सीधा खिलवाड़ माना है। पदाधिकारियों का कहना है ...

ये जातियां ओबीसी में

राज्य पिछड़ा आयोग के पदाधिकारियों ने कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा की। राजस्व अभिलेख के अनुसार कुन्बी और कुनबी, सौण्डिक और सौंडिक को समान रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति माने जाने की अनुशंसा की गई। इसके अलावा साहू और बिंद पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई।

जुड़ाव 24 जून को

सर्व राज्य समाज का सम्मेलन जुड़ाव नाम से 24 जून को टाउन हाल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम राज्य पिछड़ा आयोग की पहल पर होगा। इसमें विभिन्न जिलों के समाज प्रतिनिधि जुड़ेंगे। इसके माध्यम से वर्ग विशेष के हित में आपसी विचारों का आदान-प्रदान करना एक उद्देश्य है। इस तरह के ...

योजनाओं का लिया जायजा

"आयोग के कार्यों व शासन की योजनाओं का पिछड़ा वर्ग समाज लाभ ले–डॉ. सोमनाथ यादव

...गई। इसके अलावा ...र बिंद पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई।

कार्यक्रम राज्य पिछड़ा आयोग की पहल पर होगा। इसमें विभिन्न जिलों के समाज प्रतिनिधि जुड़ेंगे। इसके माध्यम से वर्ग विशेष के हित में आपसी विचारों का आदान-प्रदान करना एक उद्देश्य है। इस तरह के

डिग्री न देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही रोजगार के कई अवसरों से वंचित रह गया। आयोग ने इस कृत्य को पिछड़ा वर्ग के छात्र के भविष्य से सीधा खिलवाड़ माना है। पदाधिकारियों का कहना है

दरवाजा

बालोद बेमेतरा भास्कर

भिलाई-रायपुर, सोमवार 12 मार्च, 2012 17

संगठित होने पर ही विकास संभव

बेमेतरा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य ... ने कहा कि ... समाज को आगे आने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ... समाज विभिन्न वर्गों में न बंटकर संगठित हो तभी समाज का विकास होगा। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए महिलाओं को जागरूक होने की बात कही। ... उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग विकास निगम ... विभिन्न योजनाओं के लिए 60 प्रतिशत ऋण देता है।

सिफारिश। ओबीसी आयोग का एक और अहम फै...

Efforts to ensure j...

जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन बंद करें

Daundi Lohara, Mar 01: "The public welfare programmes for the backward classes are to benefit 112 backward class communities in the state, said Chairman of Chhattisgarh Backward Class Commission Somnath Yadav talking to scribes on Thursday.

सीएम से मिले पिछड़ा वर्ग आयोग के पदाधिकारी

विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सुझाव पत्र सौंपा

Efforts to ensure justice for backward class: Yadav

...welfare programmes for the backward classes are to benefit 112 backward class communities in the state, said Chairman of ... are making joint efforts to benefit every member of backward class. In this connection he had organized a review meeting of the members in state capital. Yadav thanked the Chief ... based on the complaints received members are making efforts to solve them within a time frame. Yadav mentioned that public hearing programme is also being organized to solve the problems of backward class.

To a question on ill treatment meted to the members of Yadav samaj in Bilaspur railway station, Yadav confirmed that he will look into the matter. He confirmed that Raipur and Bilaspur districts are under his control. Devendra Jaiswal is looking after Balod, Rajnandgaon and Kanker. Shiv Chandrakar is taking care of Durg and Mungeli. Rajak ...

ओबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग उठी

नवभारत प्रतिनिधि

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भी शासकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा. आयोग ने शासकीय सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव भी दिया है.

पिछले दिनों आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ ... सुझाव व प्रस्ताव भी आए. डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्र सरकार की तरह प्रदेश में भी ओबीसी को शासकीय सेवा एवं शैक्षणिक

पिछड़ा वर्ग आयोग शासन को भेजेगा प्रस्ताव

संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव ... में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि गैर आदिवासियों को वनभूमि का पट्टा दिए जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा 75 वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया है, जिसे संशोधित कर 50 वर्ष किया जाना चाहिए. बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मवेशियों की चरवाई हेतु चारागाह एवं चरवाई भूमि समाप्त हो रही है. ...

पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव ने कहा

अब स्कूल में ही बनेंगे जाति प्रमाण पत्र

क्रांतिकारी संकेत

राजनांदगांव। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के तहत अब स्कूलों में ही प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ... अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव ने पत्रकारवार्ता में कही। श्री यादव ने बताया कि प्रदेश में ओबीसी की 112 जातियों के लिए राज्य सरकार उत्थान की अनेक योजनाएं संचालित ...

जीवन स्तर काफी गिरा हुआ है। आरक्षण पिछड़ा वर्ग को जरूरी है। पिछड़े वर्गों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो इसके लिए वे स्वयं जिलों का दौरा कर ... द्वारा अपमानित किया जाता ... उनके ... दुग्ध उत्पादकों के लिए ... बनाए गए हैं। श्री यादव ने कहा कि पिछड़ा वर्ग में ... जाति को शामिल करने का प्रस्ताव है। ... जो उड़ीसा का मूल निवासी है। ...

हितग्राही योजनाओं का लाभ दिए जाने पर विशेष जोर

अब जाति-निवास की झंझट खत्म

भूमि न्यूज, रायपुर

...सगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग की पहल पर लाई जा रही ...ना पर यदि पूरी तरह अमल हो गया तो अब जाति, ...स और आय प्रमाण-पत्र के लिए लोगों को सरकारी ...रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक बार च्वॉइस ... में आवदेन और दस्तावेज जमा कर देने के बाद उन्हें ... प्रमाणित पत्र लेने जाना पड़ेगा। खास यह कि अर्जी

लोगों को आए दिन होने वाली परेशानी को बैठक में खास एजेंडे के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि इसके लिए जिलास्तर पर हो रहे प्रयासों को भी कलेक्टर डा. रोहित यादव ने प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान जिस नई व्यवस्था पर सहमति बनी, उसके अनुसार अब आवेदक को दस्तावेजों के साथ अर्जी को निकटस्थ च्वॉइस केंद्रों में जमा कराना होगा। उसके बाद उसे सीधे प्रमाणपत्र लेने के लिए उसी च्वॉइस केंद्र में जाना होगा। इस बीच आवेदक

छात्रावास खोलने मंगाए प्रस्त

हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने कृतसंकल्पित है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

समाज विकास के लिए दें शिक्षा पर ध्यान : रजक

झेरिया पाल समाज के सम्मेलन में शामिल समाज के सदस्य व अतिथि।

पिछड़ों के कल्याणार्थ योजनाओं का तत्परता से पालन करें : यादव

- पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का तत्परता से कार्यवाही करें तथा नियमानुसार हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण भी करें ताकि पात्र हितग्राही एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ ...

... योजनाओं का ... किया जाएगा. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि वर्ष 2011 में 11वीं और 12वीं के 1320 छात्रों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया है. शेष छात्रवृत्ति के लिए आवंटन प्राप्त हो गया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना के तहत् 12343 पिछड़े वर्ग के बालिकाओं को सायकल वितरण किया गया है. शिक्षा मिशन द्वारा संचालित कस्तूरबा आश्रम में 253 छात्राएं अध्ययनरत है. संयुक्त संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण ने बैठक में अवगत कराया कि सामाजिक सुरक्षा योजना ...

पौनी-पसारी के मामलो व आयोग सख्त : डॉ. यादव

- पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की प्रेस कांफ्रेंस

दुर्ग

durg@patrika.com

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ सोमनाथ यादव ने कहा है कि आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली पौनी-पसारी बंद की शिकायतों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में आयोग ने शासन को टोहनी प्रताड़ना जैसा कठोर कानून बनाए जाने की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा ... की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जिलावार अदालत लगाए जाने पर विचार कि... जा रहा है। उन्होंने बताया कि आ... के तहत 112 जातियां, उपजाति... शामिल की गयी है। इसमें बिलास... क्षेत्र में निवास करने वाली खारी ज... को शामिल करने की सिफा... आयोग द्वारा की जा रही है।

कार्रवाई का अधिकार न...

आयोग को मिले अधिकारों के प्रश्न ...

Yadav instructs DMO to expedite mining lease

Durg, Feb 29: Chairman of the Backward Commission Dr. Somnath Yadav who was in the town on Tuesday was more bothered about the mining lease. He directed District Mining Officer to grant mining lease to the applicants at the earliest in a meeting of the officials of the district administration.

Dr. Yadav directed the DMO to clear all pending application for mining in the district. He asked officials of the cooperative department to provide details about the fishing and milk committees in the district. He also directed ...

पिछड़ा वर्ग को शासकीय योजनाओं का लाभ मिले - डॉ. यादव

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ राज्य ... राजनांदगांव जिले में ओबीसी की 70 प्रतिशत जनसंख्या के मान से जिला मुख्यालय में इस वर्ग ... छात्र-छात्राओं को जिला स्तर पर ...

अन्य पिछड़े वर्गों का हित-प्रहरी : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

मान. मुख्यमंत्री जी के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग परिवार

राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ डॉ. सोमनाथ यादव (अध्यक्ष) छ.ग.रा.पि.व.आ.

मान. केदार कश्यप जी के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग परिवार

पदमश्री श्रीमती फूलबासन यादव का सम्मान करते हुए अध्यक्ष एवं सदस्य

बिलासपुर केन्द्रीय जेल का निरीक्षण करती हुई मान. सदस्य रा.पि.व.आ.

कार्यालय :-
21, रवि नगर, कलेक्ट्रेट के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन : 0771 - 2429967, फैक्स : 0771 - 2420352
E-mail : secretary_bcc@yahoo.in